21 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2002-03
21ST ANNUAL REPORT 2002-03

भारतीय निर्यात - आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
www.eximbankindia.com

भूमण्डलीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता

विश्व व्यापार के संगठनोत्तर युग में वैश्विक अर्थव्यवस्था को वृद्धिशील रूप में व्यापार एवं निवेश जैसी सुरक्षात्मक अड़चनों को समाप्त करके चित्रित किया गया है। जहाँ वैश्विक बाज़ारों के व्यापारिक अवसरों में वृद्धि से विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता अवश्यंभावी होगी वहीं वैश्विक व्यापार की अर्थव्यवस्थाओं में खुलेपन से घरेलू व्यापारिक युग में सुरक्षात्मक बाधाओं में कमी भी आएगी, परिणामस्वरूप देशों को इसके साथ ही अपनी घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे वातावरण में देशी एवं वैश्विक दोनों बाज़ारों में उनके मुकाबले की योग्यता अन्य देशों की तुलना में उस देश की मुकाबले की शक्ति पर निर्भर करेगी।

इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता से निर्यात बढ़ेंगे, निर्यात पिटारे में विविधता आएगी, समय के साथ-साथ निर्यात संवृद्धि की उच्चतर दरें प्राप्त होंगी, निर्यात गतिविधि के प्रौद्योगिकी कौशल का उन्नयन होगा, एवं घरेलू फर्मों के आधार का विस्तार होगा जो घरेलू एवं वैश्विक दोनों मुकाबले कर सकेंगी।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता से दीर्घगामी वृद्धि होगी साथ ही प्रौद्योगिकी की प्रगति होगी, नवोन्मेषिता आएगी एवं मानव कौशल का विकास होगा। आज के विश्व में एवं इससे भी बढ़कर आने वाले वर्षों में देशों की प्रतिस्पर्धी शक्ति, बदलते वातावरण को अपनाने से बहुत कुछ फर्मों के रणनीतिक व्यवहार एवं तुलनात्मक लाभ के अनुरूप कोर सक्षमता निर्मित करने पर निर्भर करेगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीतिगत चुनौतियों को पूरा करना भी महत्त्वपूर्ण है, चाहे व्यापक आर्थिक नीतियाँ उन्हें अपेक्षित मितव्ययिता एवं उत्पादन में आबंटित कुशलता प्राप्त करने दें या नहीं, फर्मों की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं कुशलता नीतिगत वातावरण के स्वरूप के अंतर्गत निखरती है जिसके अंतर्गत फर्में परिचालित करती हैं।

अतएव विकासशील देशों की वृद्धि रणनीतियाँ, उन नीतियों पर आधारित होनी चाहिए जो धारणीय नीतियाँ अनुरक्षित करके अर्थव्यवस्था में आंतरिक एवं बाह्य स्थिरता सुनिश्चित करती हैं तथा प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय धक्कों के विरुद्ध समुचित सुरक्षा प्रणाली के ज़रिये जोखिमों को सीमित करती हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता सृजित करना विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों की पहली वरीयता है। प्रमुख उद्योगों में गतिशील परिवर्तनों से एवं देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता विकासशील देशों की मूल्य शृंखला में सतत वृद्धि एवं उनकी स्थानिक लाभों के आकर्षण में सुधार करना, नीति निर्माताओं के समक्ष एक चुनौती पूर्ण कार्य है। घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की प्रतिस्पर्धात्मकता महत्त्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है, इसे इसका अंत नहीं माना जाए बल्कि इसे इसके अंत का एक साधन माना जाए - यही आर्थिक विकास है।

विषय सूची

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
आर्थिक परिवेश	3
निदेशकों की रिपोर्ट	13
तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखा	33

Globalisation and International Competitiveness

The globalised world economy in the post-WTO era has been increasingly characterised by dismantling of protective barriers to trade and investment. While increase in trade opportunities in global markets would necessitate external competitiveness, openness of economies to global trade would entail reduction in protective barriers in the domestic trade arena, resulting in the need for countries to enhance their domestic competitiveness concomitantly. In such a scenario, the ability to compete in both domestic and world markets would depend on a country's relative competitive strength vis-à-vis other nations.

In this context, international competitiveness would encompass higher exports, diversifying the export basket, sustaining higher rates of export growth over time, upgrading the technological skill content of export activity, and expanding the base of domestic firms which are able to compete globally as well as in the domestic market.

Fostering international competitiveness and thereby sustaining long-run growth would entail, *inter alia*, technological progress, innovation and human skill development. In today's world and more so in the years ahead, competitive strength of countries would increasingly depend on the strategic behaviour of firms in adapting to the changing environment and building up core competencies on the lines of comparative advantage.

Meeting challenges on the policy front also assumes importance in a global economy, as the competitiveness and efficiency of firms is facilitated by the nature of policy environment under which firms operate, and whether macroeconomic policies allow them to achieve the requisite economies of scale and allocative efficiency in production. Growth strategies of developing economies, therefore, should be based on policies which ensure internal and external stability in the economy, through maintaining sustainable policies and putting in place a proper safeguard system against adverse international shocks and limiting exposure to risks.

Building up competitiveness is a high priority for both developed and developing countries. Given the dynamic changes characterising key industries and the rising competition among countries, the need for countries to continuously move up the value chain and improve the attractiveness of their locational advantages is a challenging task for policy makers in developing countries. Competitiveness, both domestic and international, is important and challenging, and should be seen not as an end in itself but as a means to an end – which is economic development.

CONTENTS

Board of Directors	1
The Past Decade	2
Economic Environment	3
Directors' Report	13
Balance Sheet and Profit & Loss Account	33

इंटरनेट पर इस रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए कृपया आप हमें **www.eximbankindia.com** पर देखिए
To access this Annual Report on Internet, visit us at **www.eximbankindia.com**

निदेशक मंडल

श्री दीपक चटर्जी
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री शशांक
सचिव (ई ए ए)
विदेश मंत्रालय

श्री वी. गोविंदराजन
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य
कार्यपालक अधिकारी
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

डॉ. अशोक के. लाहिरी
मुख्य आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

श्री शेखर अग्रवाल
संयुक्त सचिव
बैंकिंग प्रभाग वित्त मंत्रालय

श्री वाइ.एस.पी. थोरात
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री पी. पी. वोरा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

श्री पी. एम. ए. हकीम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

श्री ए. के. पुरवार
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री आर. वी. शास्त्री
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
केनरा बैंक

श्री एस. सी. बसु
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

डॉ. पुलिन बी. नायक
प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स
नई दिल्ली

डॉ. एस. चन्द्रा
मैनेजमैंट कन्सल्टेंट
चेअरमैन पैन एशिया मैनेजमैंट
फाउंडेशन, नई दिल्ली

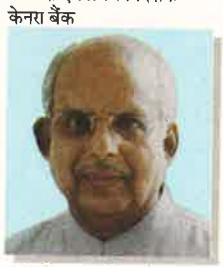

डॉ. विनयशील गौतम
प्रोफेसर
प्रबंधन अध्ययन विभाग,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नई दिल्ली

डॉ. बुद्धाजीराव आर.मुलिक
वाइस प्रेसिडेण्ट
एशियन एसोसिएशन ऑफ
एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पुणे

गत दशक

(रुपये मिलियन में)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	संचयी (1993-2003)	वार्षिक औसत संवृद्धि %
कारोबार												
प्रस्तुत निर्यात बोलियाँ [1]	144590	95880	72000	93219	121741	160826	160643	42880	85510	119667	1096956	17
सैद्धांतिक वचनबद्धताएँ [2]	1730	4101	1766	1076	7175	8562	14757	6878	20640	23110	89795	78
प्राप्त निर्यात संविदाएँ	16769	17030	16030	23196	18946	33068	34440	18331	41620	65310	284740	27
ऋण												
मंजूरियाँ (अनुमोदन)	6508	29030	24657	12421	18406	18380	28318	21743	42407	78283	280153	48
संवितरण	8109	15561	21300	12566	13704	12707	17296	18964	34529	53203	207939	23
ऋण आस्तियाँ [3]	20337	25961	29302	34513	38248	42641	50833	56443	68260	87736		17
गारंटियाँ												
सैद्धांतिक वचनबद्धताएँ [2]	7682	8700	9810	11388	12191	16743	22097	5230	10604	7061	111506	14
मंजूरियाँ (अनुमोदन)	1369	690	2027	1365	4024	2633	4404	2118	5450	9328	33408	52
जारी	1037	832	1731	1481	1912	2474	3017	1741	4164	7275	25664	15
गारंटी संविभाग	7517	6836	9081	10215	12094	10553	11147	10740	11273	16133		5
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	3574	4403	5000	5000	5000	5000	5500	5500	6500	6500		
आरक्षित राशियाँ	2261	3119	3997	5445	7058	8352	9584	10664	12026	13171		
नोट, बाँड और डिबेंचर	6498	6440	8861	9165	8267	12850	20944	22915	33158	64902		
जमा राशियाँ	1504	1620	1404	660	371	104	2617	2797	3416	9121		
अन्य उधार राशियाँ	10827	14431	13346	20352	21808	21285	20354	20255	16619	16467		
कुल संसाधन	28916	36067	39694	49329	51201	56665	70264	73981	82734	123189		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	580	788	1100	1516	2017	2400	2273	2047	2212	2686	17619	20
करोत्तर लाभ	580	788	1100	1516	2017	1650	1651	1541	1712	2066	14621	
लाभांश	140	160	200	310	410	330	350	380	420	450	3150	16
स्टाफ़ (संख्या) [4]	112	104	116	126	136	147	150	154	163	167		
अनुपात												
जोखिम आस्ति अनुपात												
के लिए पूँजी (%)	26.3	34.3	31.9	31.7	30.5	26.6	24.4	23.8	33.1	26.9		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	16.7	19.8	23.4	30.3	40.3	48.0	43.3	37.2	36.9	41.3		
निवल संपत्ति पर												
कर पूर्व लाभ (%)	10.5	11.8	13.3	15.6	17.9	18.9	16.0	13.1	12.8	14.1		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	2.1	2.4	2.9	3.4	4.0	4.4	3.6	2.8	2.8	2.6		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ												
(रुपये मिलियन में)	5.2	7.3	10.0	12.5	15.4	17.0	15.3	13.5	14.0	16.3		

1 विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के मई 2001 से लागू हो जाने के कारण, बोली-पूर्व अनुमोदन की क्रियाविधि को अनावश्यक कर दिया गया है। प्रस्तुत की गई बोलियों में वे मामले शामिल हैं जो एक्ज़िम बैंक को संदर्भित हैं।

2 सिद्धांत रूप में वचनबद्धताएं उन वित्तीय सुविधाओं से संबंधित है जिनकी वचनबद्धता एक्ज़िम बैंक ने बोली की अवस्था में की थी

3 ऋण आस्तियां, वे निवल दावे हैं जिनका निपटान निर्यात ऋण गारंटी निगम ने किया है, 1997-98 से प्रभावी।

4 यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

आर्थिक परिवेश

भूमंडलीय अर्थव्यवस्था

2001 में अत्यधिक मंदी के बाद 2002 के दौरान वैश्विक उत्पादन में सुधार हुआ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2003 के आर्थिक विश्लेषण के अनुसार पिछले वर्ष के 2.3 प्रतिशत की तुलना में भूमण्डलीय सकल देशी उत्पाद (स.दे.उ.) में 2002 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धिध दर्ज हुई। अनेक क्षेत्रों में स.दे. उ. की संवृद्धि के साथ, विशेषतया उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के उभरते बाज़ारों में आशा से अधिक आर्थिक गतिविधि 2002 की पहली तिमाही में विशेष रूप से मज़बूत थी। अपकर्ष के बावजूद सुधार की गति 2002 की दूसरी छमाही में धीमी रही तथा भूमण्डलीय वित्तीय बाज़ार अत्यधिक कमज़ोर हुए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2001 में 0.9 प्रतिशत की तुलना में स.दे.उ.में 2002 में 1.8 प्रतिशत की उच्चतर संवृद्धि दर्ज हुई जबकि विकासशील देशों ने भी 2001 में 3.9 प्रतिशत के मुकाबले 2002 में 4.6 प्रतिशत की उच्चतर संवृद्धि दर्ज की है।

अमेरिका में, सुधारित राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक प्रबंधन की प्रामाणिकता की सहायता से नीति निर्माताओं की आक्रामक एवं समय पर नीति प्रतिसाद के कारण आर्थिक गतिविधि में 2001 के अंत एवं 2002 के शुरू में सुधार हुआ। हालांकि 2002 की द्वितीय तिमाही में वृद्धि मंद पड़ गई थी जो खपत में कमी को प्रतिबिंबित करती है। साथ ही वित्तीय बाज़ार की स्थितियों में भी कमज़ोरी प्रतिबिंबित करती है। इन गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए 2001 में 0.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की तुलना में 2002 में वास्तविक स.दे.उ. में 2.4 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज हुई है। कनाडा में 2001 में 1.5 प्रतिशत की वास्तविक स.दे.उ. के मुकाबले में 2002 में वृद्धि हुई और यह 3.4 प्रतिशत तक सुधरी अत: यह माल की सूची में सुधार, अत्यधिक उपभोक्ता खर्च एवं निवेश में फिर से उछाल को प्रतिबिंबित करती है।

यूरो क्षेत्र, में अन्य क्षेत्रों, विशेषतया उत्तरी अमेरिकी एवं उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में संवृद्धि में धीमा सुधार रहा है। निजी खपत धीमी रही जबकि निवेश खर्च में अभी सुधार होना है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, विशेषतया जर्मनी और इटली में घरेलू मांग कमज़ोर रही। इन विकासों को प्रतिबिंबित करते हुए 2001 में जर्मनी में वास्तविक स.दे.उ. ने 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2002 में 0.2 प्रतिशत की कमतर संवृद्धि दर्ज की है। जबकि इटली में, 2001 में वास्तविक स.दे.उ. संवृद्धि 1.8 प्रतिशत से घटकर 2002 में 0.4 प्रतिशत हो गई है। यूरो क्षेत्र के बाहर, अपेक्षाकृत अत्यधिक निजी खपत के बावजूद यू के में वास्तविक स.दे.उ. वृद्धि 2001 में 2.0 प्रतिशत की तुलना में 2002 में 1.6 प्रतिशत पर कमतर था।

जापान में, 2002 के आरम्भ में तेज़ी के बाद वर्ष की चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में मंदी आयी है। वर्ष 2001 में वास्तविक स.दे.उ. में 0.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002 गें 0.3 प्रतिशत की संवृद्धि रही। 2001 में नए आर्थिक ढांचे की शुरुआत हुई है जिसमें

एक्जिम बैंक ने, ईरान इस्लामिक गणतंत्र में भारतीय निर्यातों का वित्तपोषण करने के लिए ईरानी बैंकों को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की। करार पर भारत के प्रधान मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये।

बैंकिंग सुधार, राजकोषीय समेकन एवं कार्पोरेट पुनर्गठन एवं अविनियमन के जापान के कुछ ढांचागत बाधाओं से उबरने की आशा है और इस तरह मध्यावधि में आर्थिक परिदृश्य में सुधार आया है।

एशिया में, भूमण्डली अपकर्ष के प्रतिसाद में औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यातों के उछाल एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार के कारण 2002 के शुरू से ही आर्थिक गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चार औद्योगीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाएं अर्थात हांग कांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ताइवान की गतिविधि में 2002 में फिर से उछाल दर्ज किया गया है। 2001 में, दक्षिण कोरिया और हांग कांग के वास्तविक स.दे.उ. में क्रमशः 3.0 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2002 में क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सिंगापुर और ताइवान में, 2001 में, वास्तविक स.दे.उ. में क्रमशः 2.4 प्रतिशत एवं 2.2 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2002 में, 2.2 प्रतिशत एवं 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2002 में, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स एवं थाइलैण्ड में भी आर्थिक गतिविधि ने ज़ोर पकड़ा है। चीन में 2001 में, स.दे.उ. में 7.3 प्रतिशत की तुलना में 2002 में 8.0 प्रतिशत की स.दे.उ. की वृद्धि के साथ गतिविधि अपेक्षाकृत अच्छी बनी रही है।

अफ्रीका में, समग्र स.दे.उ. 2001 में, 3.6 प्रतिशत से 2002 में मामूली घटकर 3.4 प्रतिशत हो गया। वस्तुओं के मूल्यों में विस्तीर्ण कमज़ोरी, सतत संघर्ष एवं राजनैतिक अस्थिरता, कम ओपेक उत्पादन कोटा से 2002 में आर्थिक गतिविधि निम्न स्तर पर बनी रही है। दक्षिण अफ्रीका के अनेक देशों में सूखे के कारण कृषि की पैदावार में अत्यधिक कमी सहित देश विशिष्ट के निजी कारकों ने भी भूमिका अदा की है। नाइजीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया एवं कैमरून में 2002 में निम्न वृद्धि दरें दर्ज की गई हैं। जहाँ अनेक देशों में समष्टि आर्थिक स्थिरता की

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ
(बिलियन रुपये में)

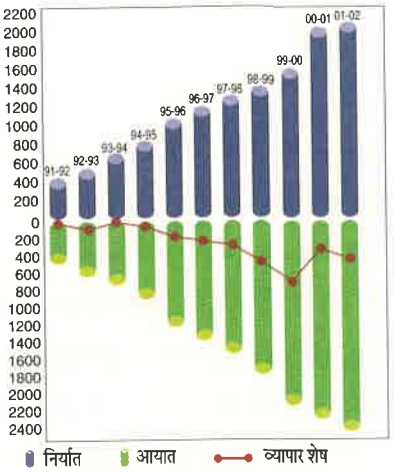

मुद्रास्फीति में कमी आई वहीं ज़िम्बाब्वे, अंगोला, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, और कुछ कम सीमा तक घाना एवं नाइजीरिया में मुद्रास्फीति का दबाव चिंता का विषय बना रहा। दक्षिण अफ्रीका में 2001 में, वास्तविक स.दे.उ. के 2.8 प्रतिशत की तुलना में, 2002 में 3.0 प्रतिशत की संवृद्धि सहित सोने के ऊँचे मूल्यों एवं शक्तिशाली विदेशी मांग से आर्थिक गतिविधि बढ़ी है।

मध्य पूर्व में, आर्थिक गतिविधि तेल बाज़ार की गतिविधियों, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थितियों एवं देश विशिष्ट की नीति विषयक दबाव जैसे कारकों से प्रभावित रही। विविधीकरण में हाल की प्रगति को प्रतिबिंबित करते हुए ईरान गैर तेल गतिविधियों में वृद्धि सहित तेल क्षेत्र पर कमज़ोर गतिविधि ऑफसेट करने में सक्षम रहा है। परिणामस्वरूप, ईरान में, 2001 में 5.7 प्रतिशत की वास्तविक स.दे.उ. की तुलना में, 2002 में 6.0 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज हुई। साऊदी अरब में,

भारत-अफ्रीकी व्यापार और निवेश के संवर्धन के लिए भारत सरकार की पहल 'फ़ोकस अफ्रीका' में एक्ज़िम बैंक एक सक्रिय सहभागी है। तंज़ानिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री बैंजामिन डब्ल्यू मक्पा के आगमन पर भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए भोज में सम्मानित किया गया।

2001 में स.दे.उ. में 1.2 प्रतिशत की तुलना में वास्तविक स.दे.उ. 2002 में 2.1 प्रतिशत रहा। इसके विपरीत मिस्र में, सुरक्षा कारणों एवं पर्यटन में कमी के कारण वृद्धि 2001 में, 3.5 प्रतिशत से घटकर 2002 में 2.0 प्रतिशत दर्ज की गई है।

लैटिन अमेरिका में 2001 के दौरान 0.6 प्रतिशत संवृद्धि के विपरीत 2002 में वास्तविक स.दे.उ. में 0.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। पैदावार में अत्यधिक कमी विशेषतया 2002 की पहली तिमाही में अर्जेंटीना के संकट एवं कुछ पड़ोसी देशों पर इसके असर के कारण था। अर्जेंटीना में 2001 में 4.4 प्रतिशत की कमी से खपत एवं निवेश में तेज़ी से आई कमी, उच्च बेरोज़गारी स्तर एवं व्यापार वित्तपोषण की अनुपलब्धता के कारण निर्यातों में कमी से 2002 में वास्तविक स.दे.उ. में 11.0 प्रतिशत की कमी हुई।

ब्राज़ील में अक्तूबर में राष्ट्रपति के चुनावों के संदर्भ में संभावित नीतिगत ढांचे की अनिश्चितता से बांड का प्रसार एवं रियाल में ह्रास हुआ। परिणामस्वरूप वास्तविक स.दे.उ. वृद्धि 2002 में, 1.5 प्रतिशत तक घटी और 2003 में इसके सुधरने की आशा जताई गई है। मेक्सिको में, अमेरिका में गतिविधि की दृढ़ता प्रतिबिंबित करते हुए वास्तविक स.दे.उ. में 2001 में 0.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2002 में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सी आइ एस देशों में, विदेशी मांग सुदृढ़ न होने के बावजूद संपूर्ण क्षेत्र में स.दे.उ. में वृद्धि 2001 में 6.4 प्रतिशत से घटकर 2002 में 4.8 प्रतिशत हो गई। रूस में, ऊर्जा क्षेत्र की निर्यात आय में गिरावट के कारण निवेश में कमी आयी परिणामतः 2001 में 5.0 प्रतिशत की तुलना में 2002 में वास्तविक स.दे.उ. में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यूक्रेन में 2001 के दौरान दर्ज 9.2 प्रतिशत की निम्नतर संवृद्धि से 2002 में पैदावार में तेज़ गिरावट के फलस्वरूप 4.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई।

अफ्रीकी विकास के लिए नई साझेदारी पर संकेन्द्रण करने के लिए एक्जिम बैंक ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 'इंडिया एंड नेपाड' विषयक सेमिनार का आयोजन किया। सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप की अनेक वित्तीय संस्थाओं ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में, माननीय केन्द्रीय विदेश कार्य राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने किया।

विश्व व्यापार

विश्व के अनेक क्षेत्रों में गतिविधि एवं मांग में सुधार प्रतिबिंबित करते हुए विश्व व्यापार के आयतन में 2001 में 0.5 प्रतिशत की तुलना में 2002 में 3.1 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। उन्नत एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों की आयात मांग में वृद्धि दर्ज की गई। उन्नत देशों के मामले में 2001 में 1.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में आयातों का आयतन 2002 में 2.3 प्रतिशत तक बढ़ा। जबकि विकासशील देशों के मामले में, 2001 में 2.2 प्रतिशत से आयात का आयतन 2002 में बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया।

विकासशील देशों में एशियाई देशों के आयातों का आयतन 2002 में अत्यधिक बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गया, जबकि वर्ष के दौरान अफ्रीकी देशों ने आयात आयतन में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। लैटिन अमेरिका के मामले में 2002 के दौरान पूरे क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधि के सिकुड़ने के कारण आयातों के आयतन में 6.5 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी है।

जहाँ तक निर्यातों का प्रश्न है, निर्यातों की मात्रा में वृद्धि में 2002 के दौरान इसी

तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। उन्नत देशों के मामले में 2001 में 1.8 प्रतिशत की कमी की तुलना में वर्ष 2002 में निर्यातों की आयतन वृद्धि में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विकासशील देशों के मामले में 2001 में 2.9 प्रतिशत की तुलना में निर्यात आयतन में 2002 के दौरान 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

डॉलर मूल्यों की दृष्टि से, विश्व के व्यापारिक निर्यातों में 2001 के दौरान 4.2 प्रतिशत की कमी के विपरीत, 2002 में 4.0 प्रतिशत की दर से बढ़कर 6245 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हो गये। 2002 में भूमंडलीय निर्यातों में वृद्धि से वैश्विक कॅमोडिटी मूल्यों में फिर से उछाल प्रतिबिंबित हुआ है। विनिर्माताओं के मूल्यों में 2001 के दौरान 2.1 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में, 2002 में 3.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई है।

गैर ईंधन प्रारंभिक कॅमोडिटी मूल्यों में भी 2001 में 5.4 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2002 में 3.8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई है। तेल के मामले में, वैश्विक मूल्यों में हेर-फेर होता रहा जिसमें पिछले वर्ष की 13.9 प्रतिशत की तीव्र गिरावट की तुलना में 2002 में 2.8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई है।

निजी पूँजी प्रवाह, चालू खाता अधिशेष एवं विदेशी कर्ज़

उभरते बाज़ारों में शुद्ध निजी पूँजी प्रवाह 2000 में 193.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगातार घटकर 2001 में 129.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर एवं 2002 में पुनः घटकर 110.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2003 में इसमें सुधार की आशा है। भूमण्डलीय पैदावार एवं मांग में सुधार के बावजूद उभरते बाज़ारों में पूँजी प्रवाह में कमी बाज़ार जोखिम की उच्च संवेदनशीलता प्रतिबिंबित करती है तथा उभरते बाज़ारों के लिए निवेशकों की रुचि में धीरे-धीरे कमी भी प्रतिबिंबित करती है जो गंभीर वित्तीय संकटों एवं फलस्वरूप निवेशक के अत्यधिक नुकसान के कारण आस्ति रूप में हैं।

लैटिन अमेरिका में उभरते बाज़ार में 2002 के दौरान पूँजी प्रवाह में अत्यधिक गिरावट के लिए उत्तरदायी थे जो 2001 में 53.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2002 में 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। अफ्रीका एवं मध्य पूर्व में भी उभरते बाज़ारों में निजी पूँजी प्रवाह 2001 में, 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2002 में, 0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूरोप के मामले में, पिछले वर्ष के 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से, क्षेत्र में, पूँजी प्रवाह बढ़कर 2002 में 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आगे, जहाँ एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के उभरते बाज़ारों में समग्र पूँजी प्रवाह पिछले वर्ष के 52.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2002 में 65.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

2002 के दौरान उभरते बाज़ार की अर्थव्यवस्थाओं का संयुक्त चालू खाता शेष पिछले वर्ष के 27.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे लैटिन अमेरिकी देशों के चालू खाते के राजकोषीय घाटे के आयतन में तीव्र कमी होगी साथ ही एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के

इंडो-फिन्निश व्यापार और निवेश अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए फिनलैंड से श्री जरी विलेन, विदेश व्यापार मंत्री महोदय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय व्यवसाय प्रतिनिधि मंडल का एक्जिम बैंक में आगमन।

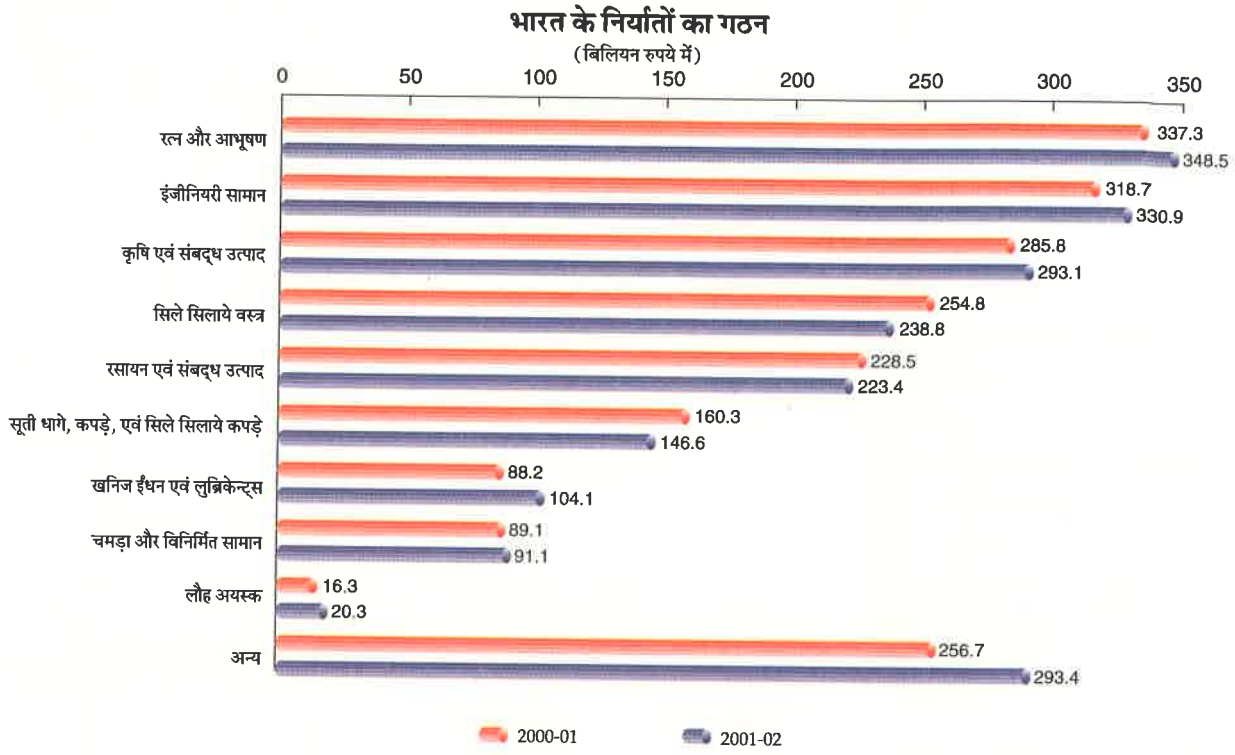

देशों के चालू खाता अधिशेष में बढ़ोत्तरी होगी। लैटिन अमेरिकी देशों में चालू खाते का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष 46.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2002 में तीव्रता से घटकर 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में उभरते बाज़ारों के मामले में चालू खाता अधिशेष 2001 में, 47.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2002 में 59.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। अफ्रीका एवं मध्य पूर्व के देशों में चालू खाते का अधिशेष 2001 के 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2002 में घटकर 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जबकि यूरोप के देशों में चालू खाते का अधिशेष पिछले वर्ष के 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अत्यधिक घटकर 2002 में 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

विकासशील देशों के लिए माल एवं सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण 2001 में 144.1 प्रतिशत से घटकर 2002 में 136.4 प्रतिशत हो गया। पश्चिमी गोलार्ध में विकासशील देशों का विदेशी ऋण, माल एवं सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में 2002 में 211.5 प्रतिशत तक सर्वोच्च था, उसके बाद अफ्रीका (175.2 प्रतिशत), मध्य पूर्व (158.2 प्रतिशत), और एशिया (86.7 प्रतिशत)। विकासशील देशों का ऋण सेवा भुगतान पिछले वर्ष के 22.7 प्रतिशत की तुलना में 2002 में 19.3 प्रतिशत हो गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2002-03* के दौरान भारत के स. दे.उ. में 4.4 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले वर्ष 5.6 प्रतिशत की दर्ज वृद्धि दर से निम्नतर थी। निम्नतर स.दे.उ. वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की संवृद्धि में गिरावट का होना था।

कृषि

पिछले वर्ष की तुलना में समग्र उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है, जिसकी तुलना में पिछले वर्ष विकास की दर 5.7 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान कम बरसात के कारण पिछले वर्ष के 212 मिलियन टन की तुलना में अनाज की

* इस खंड के आंकड़े उस भारतीय राजकोषीय वर्ष के अनुरूप हैं जो अप्रैल से अगले वर्ष के मार्च तक चलता है।

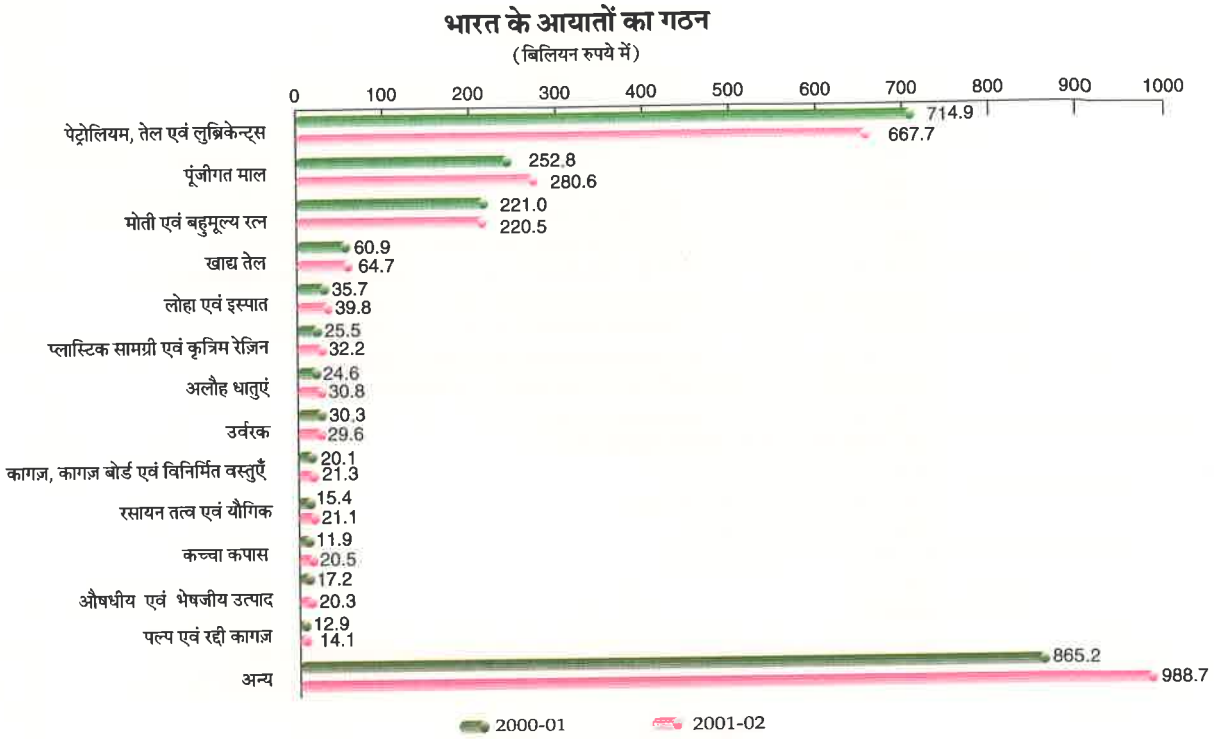

भारत के आयातों का गठन

(बिलियन रुपये में)

पैदावार 2002-03 के दौरान कम होकर 183.2 मिलियन टन होने का अनुमान है।

उद्योग

पिछले वर्ष की 2.7 प्रतिशत की कम वृद्धि की तुलना में 2002-03 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 5.8 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष के दौरान उद्योग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अधिक वृद्धि दर्ज हुई। पिछले वर्ष के 2.9 प्रतिशत की तुलना में, 2002-03 में, विनिर्माण के क्षेत्र में 6.0 प्रतिशत की संवृद्धि हुई है। 2002-03 के दौरान बिजली क्षेत्र में भी 3.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि हुई जबकि खनन एवं खदान क्षेत्र में इसी अवधि में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में सुधार का प्रमुख तत्व पूँजीगत माल क्षेत्र का पुनरुज्जीवन था, जिसमें 2001-02 में 3.4 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 2002-03 में 10.4 प्रतिशत की अत्यधिक संवृद्धि देखी गई। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, उपभोक्ता क्षेत्र में 2002-03 में 12.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई, उसके बाद बुनियादी माल क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) तथा मध्यवर्ती माल क्षेत्र (3.8 प्रतिशत) था। 2001-02 के 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 2002-03 में उपभोक्ता माल क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

2002-03 में विनिर्माण क्षेत्र में सत्रह उप-क्षेत्रों में से चार क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। ये क्षेत्र हैं खाद्य उत्पाद क्षेत्र (10.7 प्रतिशत), शीतल पेय, तंबाकू एवं उत्पाद क्षेत्र (27.3 प्रतिशत), वस्त्र उत्पाद क्षेत्र (15.6 प्रतिशत) परिवहन उपस्कर एवं पुर्जे क्षेत्र (14.9 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान चार क्षेत्रों सूती वस्त्र, लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद, चमड़े एवं लोम के उत्पाद एवं अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई।

मूलभूत सुविधा

छह मूलभूत सुविधा एवं कोर उद्योग अर्थात कच्चा तेल, रिफाइनरी, थ्रूपुट, कोयला, बिजली उत्पादन, सीमेंट एवं इस्पात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की 3.5 प्रतिशत की तुलना में 5.2 प्रतिशत की उच्चतर संवृद्धि दर्ज की गई है। 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में सीमेंट, इस्पात, रिफाइनरी थ्रूपुट, कोयला, बिजली उत्पादन एवं कच्चे तेल में क्रमशः 8.8 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत, 4.9

प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत एवं 3.1 प्रतिशत की संवृद्धि दरें दर्ज की गई हैं।

पूँजी बाज़ार

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा 2002-03 के दौरान शुद्ध निवेश 562 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि 2001-02 के दौरान यह निवेश 1846 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा 2001-02 में पैंतीस निर्गमों से 75.4 बिलियन रुपये की तुलना में 2002-03 में छब्बीस निर्गमों से मूल बाज़ार से 40.7 बिलियन रुपये के नए पूँजी निर्गम जुटाए गए।

मुद्रास्फीति

मार्च 2002 के अंत में, 1.6 प्रतिशत की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित बिंदु-दर - बिंदु के आधार पर मुद्रा स्फीति की दर मार्च, 2003 के अंत में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि की 14.2 प्रतिशत की तुलना में 2002-03 में मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में 13.0 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

विदेश व्यापार एवं भुगतान संतुलन

2002-03 के दौरान, व्यापारिक निर्यातों में अमेरिकी डॉलर की दृष्टि से 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मात्रा की दृष्टि से व्यापारिक निर्यात पिछले वर्ष के 43.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2002-03 में 51.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थे। इसमें सॉफ्टवेयर निर्यात शामिल नहीं है जो 2001-02 के 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2002-03 में 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है जो 25.0 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रतिबिंबित करता है। निर्यात में उछाल भूमंडलीय आर्थिक सुधार, अंतरराष्ट्रीय वस्तु मूल्यों में अनुमानित सुधार एवं घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर्ज की गई। ऐसी निर्यात वस्तुएँ जिनमें अप्रैल-जनवरी 2002-03 में उछाल आया, उनमें रत्न एवं आभूषण, अनाज, इंजीनियरी माल, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, हाथ से बने कपड़े एवं सिले सिलाए कपड़े शामिल हैं।

आयात पिछले वर्ष के इसी अवधि की 50.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2002-03 में 17.0 प्रतिशत की दर से बढ़कर 59.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गये। तेल एवं गैर तेल, दोनों आयातों से समग्र आयातों में वृद्धि हुई। विनिर्माण गतिविधि में सुधार प्रतिबिंबित करते हुए गैर तेल आयातों में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि से 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गये। इस अवधि में, तेल आयात 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहे, जिनमें 26.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि प्रतिबिंबित करते हैं। आयात मदें जिनमें अप्रैल-जनवरी 2002-03 में वृद्धि दर्ज की गई उनमें मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य रत्न, पूँजीगत सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, औषधीय एवं फार्मास्यूटिकल उत्पाद, खाद्य तेल, और डाइंग एवं टैनिंग सामग्री शामिल हैं। व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2002-03 में 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में परोक्ष का शुद्ध प्रवाह 9.8 बिलियन

एक्जिम बैंक, वैश्विक बाज़ार में, भारतीय औषधीय प्रणाली के निर्यात के संवर्धन में सक्रिय रूप से संलग्न है। एक्जिम बैंक के प्रकाशन 'भारतीय स्वास्थ्यवर्धकों का निर्यात' का विमोचन नई दिल्ली में, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, वित्त (व्यय, बैंकिंग एवं बीमा) श्री आनंदराव अडसुल जी ने किया। बायीं ओर डॉ. विनयशील गौतम, परियोजना परामर्शदाता दिखाई पड़ रहे हैं।

अमेरिकी डॉलर से 28.6 प्रतिशत की दर से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2002 में 12.6 बिलियन डॉलर हो गया। वर्ष 2001-02 में चालू खाते का अधिशेष जो कि 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, वह स.दे.उ. के 0.3 प्रतिशत के समतुल्य है। अप्रैल-दिसम्बर 2002 के दौरान वह बढ़कर 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

अप्रैल-फरवरी 2002-03 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आगमन राशि 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गयी है जो कि पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। यथा मार्च 2003 के अंत में कुल-विदेशी मुद्रा प्रारक्षित राशियाँ 74.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गयीं जो लगभग 15 महीने के आयात-आकार को दर्शाती हैं।

भारत का कुल विदेशी ऋण, मार्च 2001 के अंत में 101.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर मार्च 2002 के अंत में 98.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया उसके बाद सितम्बर 2002 के अंत वह में बढ़कर 101.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। स.दे.उ. की तुलना में विदेशी ऋण लगातार घटकर मार्च 2001 के अंत में 22.4 प्रतिशत से मार्च 2002 के अंत में 20.9 प्रतिशत तथा आगे चलकर सितंबर 2002 के अंत में 20.1 प्रतिशत हो गया। कुल विदेशी ऋण के अनुपात में अल्पावधि ऋण भी मार्च 2001 के अंत में 3.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2002 के अंत में 2.8 प्रतिशत हो गया परन्तु उसके बाद

भारत के विदेश व्यापार की दिशा

(बिलियन रुपये में)

* ओपेक के सदस्यों को छोड़कर

सितंबर 2002 के अंत में, मामूली वृद्धि के साथ वह 3.0 प्रतिशत हो गया।

नीतिगत परिवेश

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित राशियों के उच्च स्तर को दृष्टि में रखते हुए तथा विदेशी क्षेत्र के सुखद परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश से संबंधित नीतियों एवं क्रियाविधियों को और अधिक उदार बनाया गया। निवेशक कंपनी की विदेश के संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व की सहायकियों में निवेश के लिए बाज़ार खरीदियों को शुद्ध पूँजी के 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि अच्छे ट्रैक रिकार्ड की भारतीय कंपनी को वास्तविक व्यवसाय गतिविधि में लगी विदेशी सत्ता में निवेश के लिए बाज़ार खरीद के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र सीमा के 100 प्रतिशत निवेश करने की अनुमति है। स्वचालित रूट के अंतर्गत बकाया विदेशी वाणिज्य उधार राशियों के पहले से भुगतान के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा समाप्त कर दी गई है। भारतीय कॉर्पोरेटों को जो अमेरिकी निक्षेपी रसीदें / वैश्विक निक्षेपी रसीदें (ए डी आर्स / जी डी आर्स) के जरिये निधियाँ जुटाते हैं, को अपने भविष्य की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन विदेश के बैंक खाते में निधि बनाए रखने की अनुमति दी गई है। ऐसे भारतीय कॉर्पोरेटों को अनुमति दी गई है जिन्होंने विदेश में अपनी शाखाएँ और कार्यालय स्थापित किये हैं और जो

अपने व्यवसाय के लिए / विदेश में स्थापित अपनी शाखाओं एवं कार्यालयों में कार्य करने वाले स्टाफ़ के लिए आवासीय उद्देश्य से विदेश में अचल संपत्ति अधिग्रहीत करना चाहते हैं। पूँजी नियंत्रण के उदारीकरण से संबंधित अन्य उपायों में विदेश में निवेश करने के लिए सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों एवं म्युचुअल फंडों को मान्यताप्राप्त समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध कंपनियों एवं निवेश वर्ष की 1 जनवरी को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्जों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में न्यूनतम 10 प्रतिशत शेयर होल्डिंग रखनेवाली कंपनियों में निवेश की अनुमति शामिल हैं। विदेशों में म्युचुअल फंडों द्वारा निवेश के लिए समग्र क्षमता भी बढ़ाकर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गई है।

नकद प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) जून 2002 में 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया तथा आगे चलकर नवंबर 2002 में पुन: घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया गया था और जून 2003 से और घटकर 4.5 प्रतिशत हो जाएगा। अक्तूबर 2002 में बैंक दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दी गई और अप्रैल 2003 में पुन: घटाकर 6.00 प्रतिशत कर दी गई। सीमा शुल्क की चरम दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई। भारत को उत्पादन केन्द्र एवं निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए "भारत विकास अभिक्रम" स्थापित किया जा रहा है। साथ ही सरकार के सामान्यतया अन्य विकासशील देशों को ऋण देने या ऋण-व्यवस्था के चलन को समाप्त करने के लिए "भारत विकास अभिक्रम" को अन्य विकासशील देशों के लिए अनुदान या परियोजना सहायता देने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

नवंबर 2002 में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में, अपतट (ऑफशोर) बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की योजना अधिसूचित की गई जिसके अंतर्गत भारत में प्रचालन करने वाले बैंक नामत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंक, जो विदेशी मुद्रा में व्यवहार के लिए प्राधिकृत हैं वे कतिपय शर्तों के अधीन अपतट बैकिंग यूनिट स्थापित करने के पात्र हैं।

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से हाईटेक बागवानी एवं प्रिसिजॅन फार्मिंग पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनायी गयी है। साथ ही चाय, कॉफ़ी एवं प्राकृतिक रबड़ पैदा करनेवालों को मूल्य स्थिरता उपलब्ध कराने के लिए मूल्य स्थायीकरण निधि-स्थापित की गई है। निम्नतर ब्याज दरों से लाभ लेने के लिए कृषि एवं लघु उद्योग क्षेत्रों को सर्वोत्तम बैंक ग्राहकों की तुलना में 2 प्रतिशत बिंदु का अतिरिक्त भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

उत्पादकता एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अच्छे रिकार्ड वाले कॉर्पोरेट घरानों को कृषि निर्यात क्षेत्र प्रायोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि निर्यातों को बढ़ाया जा सके।

सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाने तथा उसका संवर्धन करने के लिए न्यूनतम 1 मिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा आय वाले सेवा क्षेत्र को लाइसेंसिंग वर्ष के पिछले तीन वर्षों में अर्जित औसत विदेशी मुद्रा का 10 प्रतिशत मुक्त आयात सुविधा दी गई है।

भारतीय निर्यातों को पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों में संवर्धित करने के लिए डॉ. माइकेल गोंडवे, अध्यक्ष पी टी ए बैंक के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था के करार पर हस्ताक्षर करते हुए। "कोमेसा क्षेत्र "भारतीय परियोजनाओं और सेवाओं के लिए उभरता हुआ एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है।

भारत: द्रुतगामी प्रगति

(2002-03 में प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

ऋण नीति

- जून 2002 में सी आर आर 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया और फिर नवंबर 2002 में 4.75 प्रतिशत कर दिया गया, इसे जून 2003 से 4.5 प्रतिशत कर दिया गया।
- अक्तूबर 2002 में बैंक दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दी गई है और आगे अप्रैल 2003 में 6.0 प्रतिशत कर दी गई।

निवेश नीति

- विदेशों के संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व की सहायकियों में निवेश के लिए निवेशक कंपनी की शुद्ध पूँजी की 50 प्रतिशत की सीमा, बाज़ार की खरीद के लिए बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है।
- किसी वास्तविक व्यवसाय गतिविधि में लगी विदेशी सत्ता में अपनी शुद्ध पूँजी का 100 प्रतिशत निवेश करने के लिए अच्छे रिकार्डवाली भारतीय कंपनी को निवेश करने की अनुमति दी गई है।
- स्वचालित रूट के अंतर्गत बकाया ई सी बी के पूर्व भुगतान की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा समाप्त की गई है।
- अपने व्यवसाय/स्टाफ़ आवास के उद्देश्य के लिए उन भारतीय कॉर्पोरेटों को विदेशों में अचल संपत्ति अधिग्रहीत करने की अनुमति दी गई जिन्होंने विदेशों में अपनी शाखाएं एवं कार्यालय स्थापित किए हैं।
- शर्तों के अधीन मान्यताप्राप्त समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश के लिए सूचीबद्ध कंपनियों एवं म्युचुअल फंडों को अनुमति दी गई है।

व्यापार नीति

- सीमा शुल्क की चरम दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की योजना अधिसूचित की गई है।
- उत्पादन केन्द्र एवं निवेश गंतव्य दोनों को बढ़ावा देने के लिए ''भारत विकास अभिक्रम'' स्थापित किया जाएगा। अन्य विकासशील देशों को अनुदान देने या परियोजना सहायता के लिए ''भारत विकास अभिक्रम'' का प्रयोग किया जाएगा।
- अच्छे रिकार्ड वाली कंपनियों को कृषि निर्यात क्षेत्र प्रायोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सेवा क्षेत्र को, पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्ष में अर्जित औसत विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत, शुल्क मुक्त आयात-सुविधा की अनुमति दी गई।

विदेशी मुद्रा नीति

- विदेशों में निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा 5000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 10,000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई है।
- ई ई एफ सी खाता धारकों द्वारा व्यापार संबंधी ऋणों एवं अग्रिमों पर सीमा समाप्त की गई जो भारतीय रिज़र्व बैंक को संव्यवहार रिपोर्ट करने के अधीन है।
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत प्रेषण के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर की मौजूदा सीमा हटाई गई है।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को, 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालनों की समीक्षा

2002-03 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न ऋणदात्री कार्यक्रमों के अधीन 78.28 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की है जो 2001-02 (अप्रैल-मार्च) में, मंजूर की गई 42.41 बिलियन रुपये की राशि के मुकाबले 84.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर्शाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 53.20 बिलियन रुपये के संवितरण किये गये थे जो 2001-02 में 34.53 बिलियन रुपये के मुकाबले में थे, इस प्रकार ये 2001-02 की तुलना में 54.1 प्रतिशत की संवृद्धि को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2003 को ऋण-आस्तियाँ 86.89 बिलियन रुपये थीं। इनमें गत वर्ष के मुकाबले 31.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 9.33 बिलियन रुपये की गारंटियाँ मंजूर की हैं जो 2001-02 में मंजूर की गईं 5.45 बिलियन रुपये की गारंटियों के मुकाबले में हैं। जारी की गई गारंटियाँ 7.27 बिलियन रुपये की थीं जो 2001-02 में जारी की गई 4.16 बिलियन रुपये की गारंटियों के मुकाबले में हैं। 31 मार्च 2003 को गारंटी संविभाग 16.13 बिलियन रुपये का था जो 31 मार्च 2002 को 11.27 बिलियन रुपये के मुकाबले में है।

रुपया ऋण और अग्रिम राशियाँ 31 मार्च 2003 को बकाया कुल ऋण और अग्रिमों का 74.5 प्रतिशत बनता है तथा 25.5 प्रतिशत की शेष राशि, विदेशी मुद्रा के ऋण थे। अल्पावधि-ऋण, ऋणों और अग्रिमों की कुल राशि के 13.8 प्रतिशत थे।

बैंक ने 2002-03 के दौरान, सामान्य निधि लेखे में 2.69 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है जो वर्ष 2001-02 में 2.21 बिलियन रुपये के लाभ के मुकाबले में है। 620 मिलियन रुपये के आय कर का प्रावधान करने के बाद 2002-03 के दौरान करोत्तर लाभ की राशि 2.07 बिलियन रुपये होती है जो कि 2001-02 में 1.71 बिलियन रुपये के मुकाबले में है। इसमें 21.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गयी है। इस लाभ में से 450 मिलियन रुपये, भारत सरकार को लाभांश के रूप में अदा किये जायेंगे। लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के लिए 57.7 मिलियन रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। 721.2 मिलियन रुपये की राशि, आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि लेखे में 250 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाओं) में 37.1 मिलियन रुपये तथा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 550 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान, निर्यात संवर्धन निधि का कर पूर्व लाभ 22.7 मिलियन रुपये है जबकि 2001-02 में 25.5 मिलियन रुपये था। 7.1 मिलियन रुपये के कर का प्रावधान करने के पश्चात करोत्तर लाभ की राशि 15.5 मिलियन रुपये होती है जो कि 2001-02 के दौरान 16.4 मिलियन रुपये के मुकाबले में है। 15.5 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है।

एक्जिम बैंक के निदेशक मंडल की बैठक।

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन प्रस्तुत की गई है।

I. परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन
III. नयी पहलें
IV. वित्तीय निष्पादन
V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VI. संवर्धनात्मक कार्यक्रम
VII. सूचना प्रौद्योगिकी
VIII. शोध एवं विश्लेषण
IX. मानव संसाधन प्रबंधन

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

I परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात

निर्यात संविदाएं

वर्ष के दौरान 65.31 बिलियन रुपये की एक सौ दस संविदाएँ, एक्ज़िम बैंक की सहायता से उनसठ भारतीय निर्यातकों ने पैंतालीस देशों के लिए प्राप्त कीं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान चौंतीस भारतीय निर्यातकों द्वारा छब्बीस देशों से उनसठ संविदाएँ प्राप्त की गयी थीं जो 41.62 बिलियन रुपये मूल्य की थीं। एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी समूह* इस प्रकार की निर्यात संविदाओं को स्वीकृति प्रदान करता है।

एक्ज़िम बैक के समर्थन से इस वर्ष के दौरान प्राप्त की गयीं संविदाओं में 31.22 बिलियन रुपये मूल्य की पच्चीस टर्नकी संविदाएँ, 16.96 बिलियन रुपये मूल्य की सत्रह निर्माण संविदाएँ, 14.47 बिलियन रुपये मूल्य की पचपन आपूर्ति संविदाएँ और 2.66 बिलियन रुपये मूल्य की तेरह परामर्शदात्री संविदाएं शामिल थीं।

इस वर्ष प्राप्त की गयीं कुछ बड़ी टर्नकी संविदाओं में इराक, ओमान और तंज़ानियां

*कार्यकारी समूह एक ऐसा अंतर सांस्थानिक तंत्र है जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार और वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। यह समूह एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में कार्य करता है।

में पॉवर प्रोजेक्ट और अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इथियोपिया, ट्यूनिशिया और संयुक्त अरब अमीरात में ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट; तंज़ानिया में गैस डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट; कुवैत में सल्फर रिकवरी प्रोजेक्ट और संयुक्त अरब अमीरात में चिल्ड वाटर संयंत्र के निर्माण शामिल हैं।

निर्माण संविदाओं में, टर्की और क़तार में क्रूड आयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट; साऊदी अरब में डैम; कुवैत में प्रशिक्षण संस्थान; इण्डोनेशिया में गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन; मॉरिशस में साइबर टॉवर्स; कुवैत में माइक्रो टनलिंग कार्य; संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय काम्पलेक्स; अफ़गानिस्तान में होटल निर्माण शामिल हैं।

समीक्षा वर्ष के दौरान, प्राप्त प्रमुख आपूर्ति संविदाओं में, मिस्र, इण्डोनशिया और इराक को सॉ पाइपों का निर्यात, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और श्री लंका को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रिडियेंट और थोक दवाइयों की, इराक को एल पी जी सिलेंडरों की; बेल्ज़ियम को अलॉय वील्स की; डोमिनिकन गणराज्य को बसों की; संयुक्त अरब अमीरात और युनाइटेड किंगडम को अनाज की; नेपाल, चीन और संयुक्त अरब अमीरात को कोल्ड रोल्ड कॉयल्स की; संयुक्त राज्य अमेरिका को पुस्तकों और लेखन सामग्री की; और सिंगापुर और स्विटज़रलैंड को विशिष्ट रसायनों की आपूर्ति शामिल है।

कुछ प्रमुख तकनीकी परामर्शदात्री और सेवा संविदाओं में, नाइजीरिया में, सीमेंट संयंत्र इरेक्शन सेवाएँ; मंगोलिया में सड़क परियोजना के लिए परामर्शदात्री सेवाएँ; मलेशिया में रेलवे ट्रेक परियोजना; अल्जीरिया में हाइड्रोकॉर्बन परियोजना के लिए इंजीनियरी सक्षमताओं का विकास करना, शामिल है।

निर्यात ऋण और गारंटियाँ

समीक्षा वर्ष के दौरान, आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और वित्त के जरिये बैंक ने परियोजना निर्यातों के लिए 31.56 बिलियन रुपये मंजूर किये जो कि गत वर्ष 19.02 बिलियन रुपये के मुकाबले में है। इससे वर्ष के दौरान मंजूरियों में 66 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है। समीक्षाधीन वर्ष में किये गये संवितरणों की राशि 23.28 बिलियन रुपये थी जो कि पिछले वर्ष के दौरान किये गये संवितरणों की राशि 17.48 बिलियन रुपये की तुलना में है। मंजूर की गई गारंटियों की राशि 9.33 बिलियन रुपये थी जो कि गत वर्ष के दौरान मंजूर की गई 5.45 बिलियन रुपये की राशि के मुकाबले में है। ये गारंटियाँ, विदेश व्यापार गारंटी कार्यक्रम के अधीन, समुद्रपारीय तकनीकी परामर्शदात्री संविदाओं, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन संविदाओं, क्रूड आयल में निर्माण संविदाओं, ट्रांसमिशन इंफ्रास्टक्चर तथा कुछ आपूर्ति संविदाएँ जैसे अल्युमिनियम अलॉय सिलिंडर ब्लाकों और हैड्स की आपूर्ति, शैल तथा ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स और प्रेशर वेसल्स की आपूर्ति और निर्यात देयता गारंटियों से संबंधित थीं।

हालांकि आस्थगित अदायगी पर बोलियों के विषय में बोली की अवस्था में निर्यातकों से किसी भी प्रकार की वचनबद्धता अपेक्षित नहीं है फिर भी एक्ज़िम बैंक ने, समीक्षा वर्ष के दौरान, कुल 30.17 बिलियन रुपये की सिद्धांत रूप में वचनबद्धताएँ **की हैं, इनमें 23.11 बिलियन रुपये के ऋण और

**सिद्धांत रूप में की गईं वचनबद्धताओं का उल्लेख बोली प्रस्तुत किये जाने के चरण में एक्ज़िम बैंक द्वारा वायदा किये गये वित्त की सीमा के लिये किया गया है। ऐसे वायदे उस समय मंजूरियों में परिवर्तित हो जाते हैं जब बोलियाँ, संविदाओं का मूर्त रूप ले लेती हैं।

7.06 बिलियन रुपये की गारंटियां जो परियोजना निर्यात बोलियों से संबंधित हैं, शामिल हैं।

ऋण-व्यवस्थाएँ

एक्ज़िम बैंक, भारत के निर्यातों का वित्तपोषण करने, उनका संवर्धन करने के लिए इसके निर्यात व्यापार साझीदारों को समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, प्रभु सत्ता-संपन्न सरकारों और अन्य समुद्रपारीय सत्ताओं को विशेषकर विकासशील देशों को, ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान करता है। ऋण-व्यवस्था एक ऐसा वित्तपोषण तंत्र है जो भारतीय निर्यातकों को विशेषकर लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा न लेने का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराता है और प्रभावी बाज़ार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करता है। वृद्धिशील प्रतिस्पर्धी परिवेश होने के कारण, एक्ज़िम बैंक, अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन अग्र सक्रिय रूप से इसकी भौगोलिक पहुँच और मात्रा में विस्तार करना चाहता है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल 257 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सात ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान की थीं। जिनका उद्देश्य भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को सहायता प्रदान करना है। ये ऋण-व्यवस्थाएँ, बैंका कामार्सिअला रोमाना (रोमानियन कमर्शियल बैंक एस.ए.) को, वनेशतोर्ग बैंक, बैंक फॉर फॉरिन ट्रेड , रशियन फेडरेशन को; ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रीकन ट्रेड एण्ड डिवेलपमेंट बैंक (पी टी ए बैंक)-जिसमें, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के सोलह देश शामिल हैं, को, सीशैल्स मार्केटिंग बोर्ड सीशैल्स को, सात ईरानी वाणिज्य बैंकों नामत: बैंक मेल्लत, बैंक मेल्ली ईरान, बैंक सदेरत ईरान, बैंक सीपाह, बैंक तेज़ारत, बैंक ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड माइन, एक्सपोर्ट डिवेलपमैंट बैंक ऑफ ईरान, हैट्टन नैशनल बैंक लिमिटेड, श्री लंका और ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमैंट डिवेलपमैंट कॉर्पोरेशन ऑफ फिलीपीन्स (टिडकॉर्प अथवा फिल एक्ज़िम) को प्रदान की गईं थीं। ये सुदृढ़ वित्तीय संस्थाएं हैं अथवा क्षेत्रीय विकास बैंक हैं अथवा एक्ज़िम बैंक की तरह विशेषीकृत संस्थाएँ हैं। बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक से, ऋण-व्यवस्थाओं के अधीन उत्पादों के विस्तृत-आधार व्याप्ति की पहले ही अनुमति प्राप्त कर ली थी। भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के अधीन सभी अनुमत्य वस्तुओं के निर्यात अब बैंक की ऋण-व्यवस्थाओं के अधीन शामिल है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अब तक की सबसे बड़ी ऋण-व्यवस्था सात ईरानी वाणिज्य बैंकों को मंजूर की गई थी। यह पहली ऋण-व्यवस्था है जो भारत सरकार ने एक्ज़िम बैंक के जरिये प्रदान की है।

बीस ऋण-व्यवस्थाओं की एक सूची जिसकी विस्तृति महाद्वीपों के सैतीस देशों में है, जिसमें कुल 387 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण वचनबद्धता के साथ अब उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

भारत से रूस संघ को निर्यातों का वित्तपोषण करने के लिए, वनेशतोर्ग बैंक (बैंक फॉर फॉरिन ट्रेड), रूस को25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। करार पर श्री ॲनाटोली एस चेर्नीशोव, उपाध्यक्ष, वनेशतोर्ग बैंक ने मास्को में हस्ताक्षर किये।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

यह बैंक, भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की अभिवृद्धि करने के लिए उद्दिष्ट वित्तपोषण के कार्यक्रमों की शृंखला परिचालित करता है। बैंक ने, 2002-03 के दौरान, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में अभिवृद्धि करने के

कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर 34.39 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। इन कार्यक्रमों के अधीन कुल 29.39 बिलियन रुपये की राशि के संवितरण किये गये हैं।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने अस्सी निर्यात उन्मुख इकाइयों को 16.52 बिलियन रुपये के आवधिक ऋण मंजूर किये हैं। इन ऋणों में 11.31 बिलियन रुपये की राशि भी शामिल है जो सैंतीस इकाइयों को वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त के जरिये दी गई थी। समीक्षा वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 14.63 बिलियन रुपये है। इसमें वाणिज्य बैंकों को 11.31 बिलियन रुपये की पुनर्वित्त की गई राशि शामिल है।

उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन अट्ठाईस निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की संप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 3.09 बिलियन रुपये मंजूर किये गये थे। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 2.71 बिलियन रुपये है।

चवालीस कंपनियों को कुल मिलाकर 7.46 बिलियन रुपये की कार्यशील पूँजी के ऋण मंजूर किये गये हैं। उक्त कंपनियों को किये गये संवितरणों की राशि 5.72 बिलियन रुपये है।

बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्यात उन्मुख इकाइयों के अंतर्गत वस्त्र, दवाइयाँ, पूँजीगत माल, रसायन, डेनिम, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरी वस्तुएँ, रत्न और आभूषण, आतिथ्य-सत्कार, जूट, धातु और धातु प्रसंस्करण, सिरेमिक, उपभोक्ता वस्तुएँ, कागज़, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक और पैकेजिंग, पोर्ट्स, रेशम, सॉफ्टवेयर, इस्पात और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों की व्यापक श्रेणी शामिल है।

प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन निधि योजना

इस बैंक ने, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वस्त्र और जूट उद्योग की प्रौद्योगिकी कोटि उन्नयन निधि योजना के अधीन प्राथमिक उधारदात्री संस्था के रूप में चौदह कंपनियों को कुल मिलाकर 1.27 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं। संवितरणों की कुल राशि 753.0 मिलियन रुपये है।

अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त

औषधीय क्षेत्र की तीन कंपनियों को उनके अनुसंधान एवं विकास कार्य संबंधी प्रयासों को सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से 23.8 मिलियन रुपये का वित्त प्रदान किया गया।

सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण संस्थान

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग को योग्य एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति की आपूर्ति करने तथा द्रुतगति से परिवर्तित प्रौद्योगिकी के युग में कौशल के उन्नयन करने की दृष्टि से बैंक, सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके विस्तार के लिए ऋण प्रदान करता है। 9.0 मिलियन रुपये का वित्त, एक सॉफ्टवेयर संस्थान को प्रदान किया गया।

निर्यात विपणन वित्त / निर्यात उत्पाद-विकास

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में, विकसित देशों के बाज़ारों में प्रवेश करने और उनमें अपनी उपस्थिति को बनाये रखने के लिए रणनीतिक निर्यात बाज़ार विकास योजना के लिए समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने

बैंक द्वारा प्रदान की गई कुल ऋण-राशियाँ

(मिलियन रुपये में)

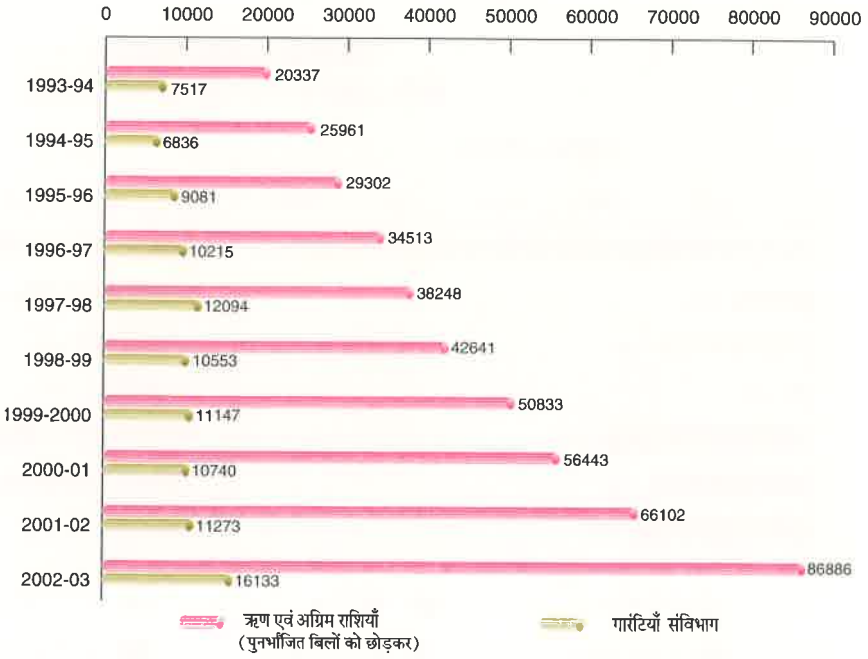

पाँच कंपनियों को 150.5 मिलियन रुपये मंजूर किये थे तथा 106.9 मिलियन रुपये संवितरित किये थे।

समुद्रपारीय निवेश वित्त

समीक्षा वर्ष के दौरान, चार कंपनियों को उनकी विदेश स्थित सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तपोषण के लिए 1.13 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये थे। वर्ष के दौरान संवितरित की गई राशि 825.3 मिलियन रुपये है। समुद्रपारीय उद्यम, सॉफ्टवेयर, चाय, औषधीय और उपभोक्ता सामान के क्षेत्र में थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और चीन में स्थित हैं।

निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने, 1.93 बिलियन रुपये की राशि पोर्ट सेवाओं के लिए मंजूर की थी। उक्त राशि में से 1.68 बिलियन रुपये, वाणिज्य बैंकों को पुनर्वित्त के जरिये प्रदान किये गये थे। कुल संवितरण 1.32 बिलियन रुपये के थे।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अधीन, मंजूरियाँ और संवितरण की राशि क्रमशः 250 मिलियन रुपये और 300 मिलियन रुपये थी।

आयात वित्त कार्यक्रम

आयात वित्त कार्यक्रम के अधीन छह कंपनियों को 3.37 बिलियन रुपये के सावधि ऋण मंजूर किये गये जिसमें से 800 मिलियन रुपये की राशि वाणिज्य बैंकों को पुनवित्त के जरिये प्रदान की गई थी। संवितरणों की राशि 3.25 बिलियन रुपये थी।

III. नई पहलें

गुवाहाटी कार्यालय

भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अपने प्राकृतिक संसाधनों और सामर्थ्य के कारण, बैंक के लिए संकेन्द्रण क्षेत्र है। बैंक का यह प्रयास है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए बैंक के उत्पादों तथा उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बीच एक सहजात एवं सहजीवी संबंध सृजित करे। प्रयास की इस दिशा में बैंक ने जनवरी 2003 में गुवाहाटी में एक कार्यालय खोलकर एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्यालय सक्षम परियोजनाओं और निर्यात सौदों विशेषकर कृषि क्षेत्र में, के वित्तपोषण के लिए पता लगाता है।

इस क्षेत्र की सामर्थ्य विशेष रूप से फल और सब्जियों, मसालों और औषधीय पौधों, के क्षेत्र में है, और यह क्षेत्र आर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी बहुत अनुकूल है। इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं के विकास के प्रस्ताव की भी अच्छी गुंजाइश है।

भारतीय परामर्शदाताओं की सेवाओं के उपयोग को सुगम बनाने के लिए एक्ज़िम बैंक की, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (विश्व बैंक समूह) के साथ एक दीर्घ अवधि के

ऋणों का क्षेत्रवार-वितरण
1993-2003 में मंजूर और संवितरित-राशि
(मिलियन रुपये में)

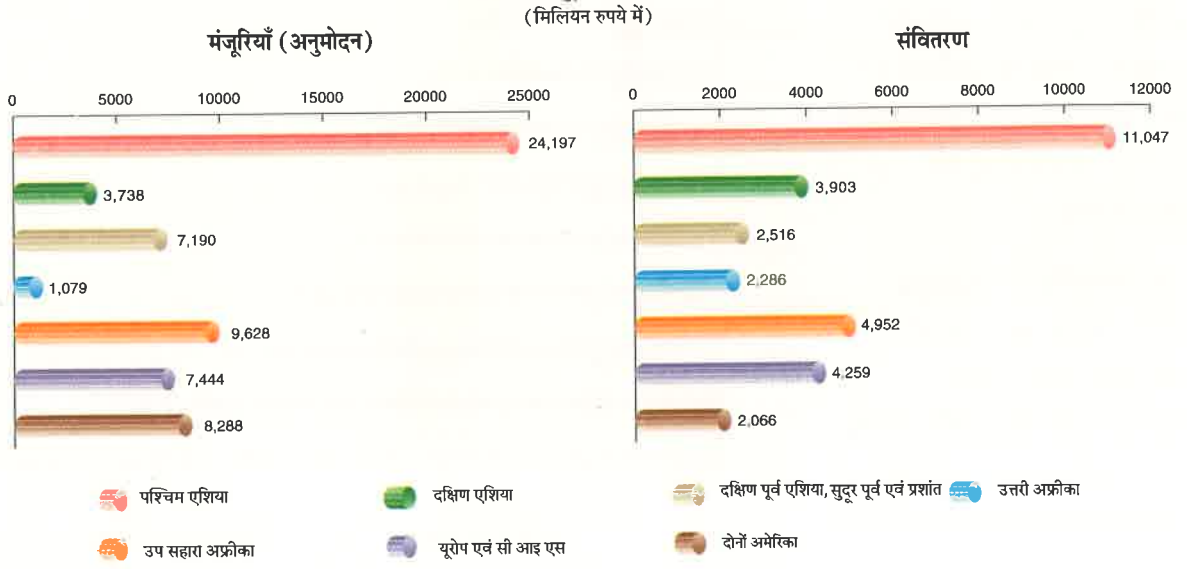

लिए की गई व्यवस्थाओं में अब दक्षिण एशिया सुविधा भी शामिल है जिसके जरिये उत्तर पूर्वी क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान की जा सकती है।

कृषि व्यापार समूह

बैंक ने अपने निगमित संसाधनों को कृषि व्यापार समूह की स्थापना करने में लगाया है। यह समूह कृषि क्षेत्र में, बैंक की पहलों को नेतृत्व प्रदान करेगा। बैंक ने, भारतीय कृषि-नियातों की संभाव्यता और चुनौतियों की बेहतर जागरुकता पैदा करने और विश्व व्यापार संगठन से उभरते परिदृश्य के साथ चलने के लिए कृषि क्षेत्र को गतिमान करने की अपनी पहलों को जारी रखा है।

देश में खाद्य प्रसंस्करण विकसित करने हेतु एक ढाँचा स्थापित करने के लिए एक्ज़िम बैंक ने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये हैं। एक त्रिपक्षीय व्यवस्था पर एक्ज़िम बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने हस्ताक्षर किये हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य इन संगठनों के सहक्रियाशील प्रयासों को उनके संबंधित शक्तियों के साथ उत्तोलन देना और उनके कार्यकरण को समन्वित करना है ताकि भारत से कृषि उत्पादों के निर्यातों को और अधिक बढ़ाया जा सके। बैंक स्माल फार्मर्स एग्री बिज़नेस कंसोर्टियम, में प्रवर्तक शेयरधारक के रूप में सहबद्ध हुआ है। यह संगठन कृषि और खाद्य से संबंधित उद्योग के छोटे किसानों के लिए निवेश को सुगम बनाता है।

कृषि और सहायक उत्पादों के निर्यात की संभाव्यता को रेखांकित करने की दृष्टि से बैंक ने "कृषि उत्पादों का निर्यात : संभावनाएँ और चुनौतियाँ" विषयक एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन गुवाहाटी में किया था। ऐसे ही एक अन्य कार्यक्रम का आयोजन चेन्नई में भी किया गया था। बैंक ने अपेडा और नाबार्ड के सहयोग से तीन "निवेशक सम्मेलनों" का आयोजन मुंबई, बैंगलूर और कोलकाता में किया था। इन सम्मेलनों ने संभावी निवेशकों, व्यापार सुगमकर्ताओं, नीति निर्माताओं, संवर्धक निकायों को, कृषि निर्यात क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से एक मंच पर लाना था।

बैंक एक द्विमासिक समाचार पत्र "कृषि निर्यात लाभ" भी प्रकाशित करता है जो अंग्रेजी, हिन्दी और अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है। कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सूचना उपलब्ध करने के लिए बैंक ने एक कृषि-पोर्टल भी स्थापित किया है।

कृषि व्यापार समूह ने अपने परिचालनों का आरम्भ एक महिला उद्यमकर्ता द्वारा जर्मनी को 20 मीट्रिक टन शहद के निर्यात के वित्तपोषण के साथ किया है। भारत से गेहूँ के निर्यात के वित्तपोषण के लिए अमीरात ग्रेन प्रॉडक्ट्स कंपनी एल एल सी को 20 मिलियन अमेरिकी डालर की विशाल ऋण-व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। कृषि व्यापार समूह ने वर्ष के दौरान 2.49 बिलियन रुपये के ऋण-मंजूर किये हैं तथा संवितरणों की राशि 267 मिलियन रुपये है। मंजूरियों में गेहूँ और चावल, प्रसंस्कृत खाद्य और फलों के पल्प जैसे कृषि पण्यों के लिए पोत लदान पूर्व और पोत लदानोत्तर वित्त, परियोजना सावधि ऋण, कार्यशील पूँजी वित्तपोषण ऐसी कंपनियों को प्रदान किया गया है जो इंस्टेंट काफ़ी, गॅकिन, खाने के लिए तैयार खाद्य

कृषि निर्यात क्षेत्र, भारत सरकार की एक ऐसी नई पहल है जो भारत से मूल्य योजित कृषि निर्यातों को प्रोत्साहित करती है तथा जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और अपेडा द्वारा मुंबई में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम श्री बाला साहेब विखे पाटिल जी।

पदार्थ, जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्रों में संलग्न हैं। मंजूर किये गये ऋणों में जो उल्लेखनीय ऋण हैं उनमें माओ, मणिपुर में पैशन फल रस की परियोजना; जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के, लेह लद्दाख में सीबकथार्न फल रस और तेल की परियोजना; महाराष्ट्र में संविदा फार्मिंग और आर्गेनिक फार्मिंग के लिए सावधि वित्त, भारत से कृषि पण्यों का आयात करने के लिए सिंगापुर की एक कंपनी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेता ऋण शामिल हैं।

भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात विपणन सेवा

निर्यात विपणन सेवा शुरू करने की बैंक की पहल ने भारतीय कंपनियों को अपने निर्यात पिटारे को और अधिक देशों में क्रेताओं तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है। अनेक भारतीय कंपनियों ने बैंक की सेवाएँ मांगी हैं जो वस्त्र, सूती धागे, आयुर्वेद उत्पाद, होमियोपैथी एवं फार्मा उत्पाद, कार्यालय लेखन-सामग्री, भारतीय स्नैक फूड, प्रसंस्कृत खाद्य, इलेक्ट्रोमेकेनिकल ऊर्जा मीटर एवं दियासलाई जैसे अनेक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

बैंक ने अनेक भारतीय कंपनियों को सहायता उपलब्ध कराई ताकि वे विदेशों में अपने उत्पाद स्थापित कर सकें तथा नए बाज़ारों में प्रवेश कर सकें। संभावित व्यवसाय भागीदार का पता लगाने से लेकर अंतिम ऑर्डर देने को सुगम बनाने तक के लिए कंपनियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराए गए।

मंजूर ऋणों का औद्योगिक वितरण 1993-2003

(मिलियन रुपये में)

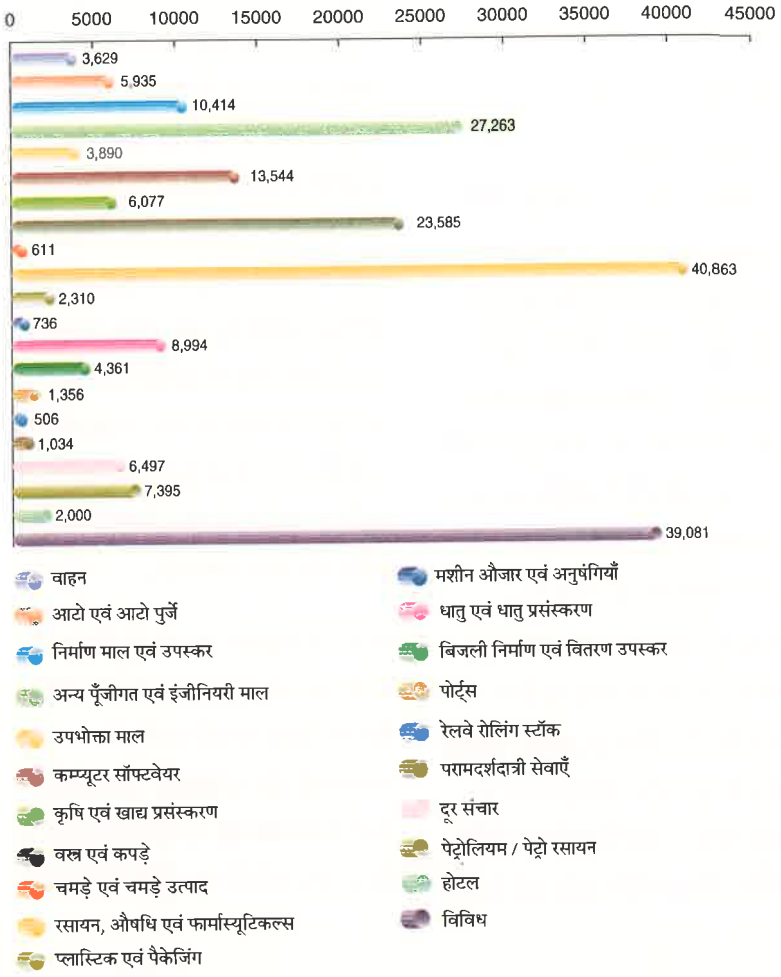

बाज़ार जहाँ ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

हंगरी : हंगरी में आयुर्वेदिक उत्पादों/ विज्ञान को पंजीकृत करने एवं बढ़ावा देने के लिए बैंक ने एक भारतीय आयुर्वेद फर्म की एक हंगरी की कंपनी के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने में सहायता प्रदान की है।

इटली : बैंक ने यूरोपीय स्थानिक मानकों को पूरा करनेवाली भारतीय स्नैक फूड तैयार करने वाली कंपनी को इटली के बाज़ार में अपने उत्पादों के लिए व्यवसाय भागीदारों का पता लगाकर एक फर्म के साथ निर्यात संविदा दिलाने में सहायता की है। कंपनी ने सफल ट्रायल शिपमेंट किया है। बैंक द्वारा दोबारा-ऑर्डर प्राप्त किया जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका : बैंक ने दक्षिण अफ्रीका में स्थित वस्त्र निर्माता का पता लगाया है तथा एक भारतीय कंपनी से 100 प्रतिशत सूती वस्त्र की आपूर्ति अपेक्षा के लिए गठबंधन किया है। भारतीय कंपनी ने ट्रायल फैब्रिक आर्डर सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

इसी तरह अपने 200 फुटकर आउटलेटों में इंडिया फूड कार्नर स्थापित करने के लिए

भारत से आपूर्ति मांग पूरी करने के लिए बैंक, एक बड़े सुपर स्टोर के साथ संपर्क बनाए हुए है। दियासलाई के एक कंटेनर का ट्रायल ऑर्डर शिवकाशी से भेजा गया है तथा दूसरा ऑर्डर विचाराधीन है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बैंक ने फुटकर शृंखला की अपेक्षाओं के लिए भारतीय कंपनियों के अनेक उत्पादों के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।

सिंगापुर : बैंक ने चीन के स्वामित्व के एक प्रमुख चेन स्टोर के साथ गठबंधन करके सिंगापुर में बाज़ार का पता लगाने के लिए एक भारतीय स्नॅक फूड विनिर्माता की सहायता की है। अब यह स्टोर भारत से स्नॅक फूड मंगवाकर सफलता पूर्वक बिक्री करता है।

बैंक ने सिंगापुर में स्थित प्रमुख लेखन-सामग्री फुटकर विक्रेता के साथ वेंडर आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करके एक कार्यालय लेखन-सामग्री विनिर्माता भारतीय कंपनी की भी सहायता की है। भारतीय कंपनी के लिए ट्रायल ऑर्डर मिले हैं।

बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में विकसित स्वदेशी पेटेंट प्रौद्योगिकी सहित सेवाओं के निर्यात के लिए भी गठबंधन किया है। इस दिशा में पेटेंट प्रौद्योगिकी के विपणन के लिए विदशों में अवसरों का पता लगाने के लिए बैंक ने पेटेंट प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

संयुक्त उद्यम

एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (जी टी एफ), वेस्टड्यूश लैंडेस बैंक गिरोज़ेनट्रेल (वेस्ट एल बी), जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंग्टन डी. सी. का संयुक्त उपक्रम है। इसने अपने परिचालनों का एक वर्ष पूरा कर लिया है। कंपनी ने 5 बिलियन रुपये का कुल आवर्त प्राप्त किया तथा 13.2 मिलियन रुपये का कर पश्चात लाभ प्राप्त किया। जी टी एफ का उद्देश्य, विश्व व्यापार के बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में लघु और मध्यम हैसियत के भारतीय निर्यातकों के लिए बाज़ार आधारित वित्तपोषण की समस्याओं का समाधान निकालना है। जी टी एफ भारत में पहली बार विन्यासगत विदेश व्यापार वित्तपोषण उत्पादों यथा फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग जैसी सेवाओं का प्रस्ताव करता है।

बैंक का दूसरा संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) का लाभ के परिचालनों का एक और वर्ष था। वर्ष के दौरान जी पी सी एल ने स्वाजीलैण्ड, तंज़ानिया, पोलैण्ड, और बोस्निया में परामर्श कार्य किया है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुदेशीय एजेंसियों द्वारा निधीयित परियोजनाओं के लिए खरीदी संबंधी सलाहकारी एवं लेखा परीक्षा सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली एक्ज़िम बैंक और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तेरह अन्य कंपनियों का संयुक्त उद्यम है।

ऋण वसूली समूह

बैंक के भीतर ऋण की निगरानी और ऋण की वसूली कार्य को और सुदृढ़ किया गया है। ऋण वसूली समूह अस्तित्व में है एवं ऐसी प्रक्रियाएँ अपनायी गयी हैं जो मानक आस्तियों को अनुप्रयोज्य-आस्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाने से रोकेंगी जिसमें प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों की प्रणाली के

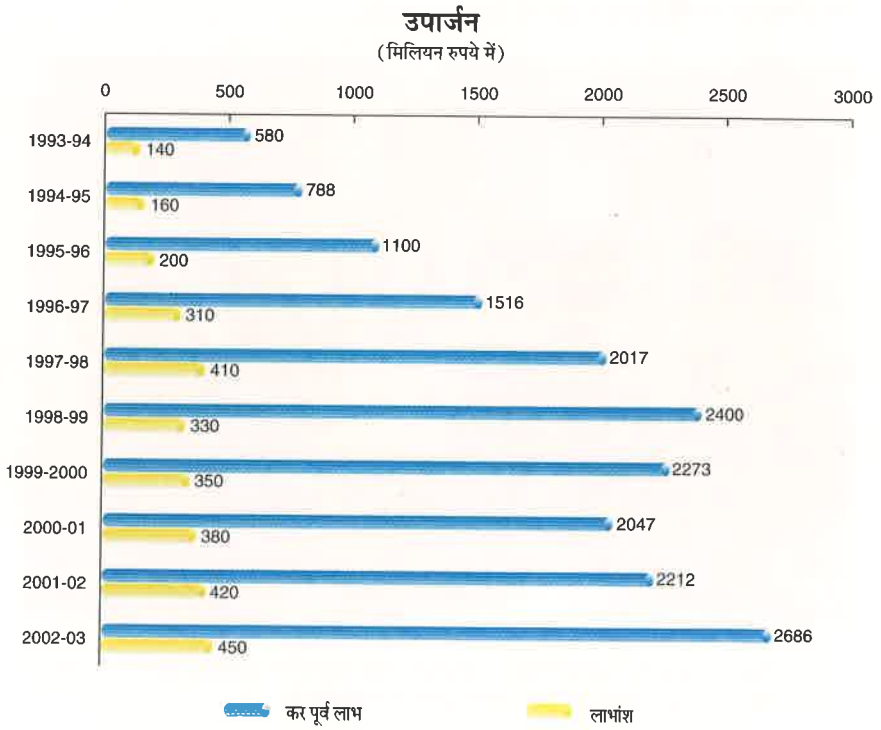

साथ-साथ ऋण खातों को ए बी सी वर्गों में बांटने की प्रणाली भी चालू की गयी है।

उद्योग के साथ परस्पर संपर्क

एक्ज़िम बैंक उद्योग जगत के साथ नियमित रूप से सहक्रियात्मक संपर्क और विचारों का आदान-प्रदान करता है तथा सहक्रियात्मक वेबसाइट के माध्यम से निर्यातकों तथा चुनिंदा निर्यातक कंपनियों के साथ निरन्तर परस्पर संपर्क बनाये हुए है।

परियोजना निर्यात पर कार्य बल

विस्तृत श्रेणी की सिफारिशों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा परियोजना निर्यातों पर एक कार्य बल गठित किया गया था जिससे परियोजना निर्यातों में मात्रात्मक वृद्धि होगी। बैंक ने कार्य बल के सचिवालय के रूप में कार्य किया जिसकी अध्यक्षता श्री जी एस दत्त; संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने की है।

कार्य बल ने जनवरी 2003 में प्रधान मंत्री कार्यालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में नीति, क्रियाविधि एवं संस्था से संबंधित ऐसी अनेक सिफारिशें की गई हैं जिन्हें , अल्पावधि, मध्यावधि एवं दीर्घावधि में कार्यान्वित किया जा सकता है। बैंक की प्रमुख भूमिका को मान्यता देते हुए कार्य बल ने सिफारिशें की हैं कि पूँजी निवेश, ब्याज समानता, योजना समर्थन के माध्यम से एक्ज़िम बैंक को सुदृढ़ किया जाए। भारत सरकार की ऋण-व्यवस्थाओं के परिचालन के लिए बैंक के परिचालनों में सहक्रिया निर्मित हो सके। यह भी सिफारिश की गई कि अगले छह वर्षों तक बैंक को प्रतिवर्ष 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि उपलब्ध कराई जाए ताकि यह परियोजनाओं को समर्थन दे सके, तथा बैंक की निर्यात विकास निधि का इस्तेमाल करके बड़े मूल्यों की परियोजनाओं को समर्थन दे सके।

सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित 'परियोजना निर्यातों पर कार्य बल पर विचार-विमर्श करने तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करने में एक्ज़िम बैंक सक्रिय रूप से संलग्न रहा है। श्री प्रोदीप्तो घोष, अपर सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय, ने रिपोर्ट का विमोचन किया। साथ में है, श्री जी.एस. दत्त, जिन्होंने समिति की अध्यक्षता की।

IV. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

31 मार्च 2003 को 6.50 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी और 13.17 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के संसाधनों की सकल राशि 123.19 बिलियन रुपये होती है। बैंक के संसाधन आधार में बांड, जमा-प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ/उधार राशियाँ / दीर्घावधि विनिमय शामिल हैं।

इस बैंक ने 4.10 बिलियन रुपये मूल्य के समतुल्य बिक्री / खरीद अमेरिकी डॉलर / रुपये विनिमय किये हैं और लघु अवधि परिसमापन प्रबंधन के भाग के रूप में 12.75 बिलियन रुपये के वाणिज्यिक पत्र जारी किये हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 25.05 बिलियन रुपये की राशि, 2 से 15 वर्षों की अवधि के प्राइवेट प्लेसमेंट बांडों के माध्यम से, बाज़ार-उधार राशियों के जरिये जुटायी है। बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए बांडों में ज़ीरो कूपन बांड, अलग से व्यापार योग्य स्ट्रिपों एवं अंत : स्थापित विकल्पों वाले बांड शामिल हैं।

बैंक की ऋण-लिखतों को, ऋणपात्रता निर्धारण की उच्चतम श्रेणी अर्थात भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल) और भारतीय ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी (इक्रा) का 'ए ए ए' निर्धारण बना रहा है। 31 मार्च 2003 को, बांडों और वाणिज्यिक पत्र सहित बकाया ऋण राशियाँ 65.14 बिलियन रुपये थीं।

बैंक ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण जुटाया तथा वाणिज्यिक बैंकों

के "ऑन शोर निधि" में से ऋण / समांतर सावधि जमा के रूप में 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने निर्यात ऋण के रूप में वित्तपोषण के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाये। बैंक ने जर्मनी एवं अन्य यूरोपीय देशों से पूंजीगत माल के आयात के लिए डी ज़ेड बैंक से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की समान ऋण-व्यवस्था जुटायी है। बैंक ने 2001-02 के दौरान अमेरिकी डॉलर / रुपये के दीर्घावधि स्वैप के जरिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर विनिमय भी किया। यथा 31 मार्च, 2003 तक बैंक के पास 560.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन थे। बैंक की जमा पर अल्पावधि के अंतर बैंक ऋण 12.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे।

आय / व्यय

2002-03 के दौरान बैंक के कर पूर्व लाभ और करोत्तर लाभ क्रमशः 2.69 बिलियन रुपये और 2.07 बिलियन रुपये हैं जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ और करोत्तर लाभ क्रमशः 2.21 बिलियन रुपये और 1.71 बिलियन रुपये थे। कारोबार आय, जिसमें ब्याज, बट्टा, विनिमय कमीशन, दलाली और शुल्क शामिल हैं, वर्ष 2002-03 के दौरान 7.57 बिलियन रुपये थी, वह वर्ष 2001-02 में 6.70 बिलियन रुपये के मुकाबले में है। 2002-03 के दौरान राजकोषीय आय 2.22 बिलियन रुपये थी जबकि 2001-02 में यह 1.62 बिलियन रुपये थी। वर्ष 2002-03 में दिया गया ब्याज (व्यय) 4.94 बिलियन रुपये था जो ऋण की अधिकता के कारण 0.64 बिलियन रुपये से उच्चतर है। 2002-03 के दौरान गैर ब्याज खर्च, कुल खर्च का 6.90 प्रतिशत था। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) जो 31 मार्च 2002 में 8.59 प्रतिशत थी वह 31 मार्च 2003 में घटकर 6.82 प्रतिशत रह गयी थी।

भारतीय खाद्य और सेवाओं के लिए फिलीपीन्स, एक उभरता हुआ बाज़ार है। 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था पर मनीला में ट्रेड एंड इन्वेस्टमैंट डिवेलपमैंट कॉर्पोरेशन ऑफ दि फिलीपीन्स के साथ हस्ताक्षर किये गये।

पूँजी पर्याप्तता

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुबद्ध 9 प्रतिशत के मानकों के अनुसार हिसाब लगाया गया पूँजी का जोखिम आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) 31 मार्च 2003 को 26.92 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में वह 31 मार्च 2002 को 33.13 प्रतिशत था। 31 मार्च 2003 को ऋण-ईक्विटी अनुपात 4.32:1 है जो कि 31 मार्च 2002 के 2.57:1 के मुकाबले में है।

वित्त निवेश (एक्सपोज़र) के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय आवधिक ऋणदात्री संस्थाओं के लिए ऋण प्रदान करने की सीमायें, 31 मार्च 2002 से प्रभावी,व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रदान किये जानेवाले वित्त के लिए, वित्त संस्थाओं की पूँजी-निधियों (चुकता पूँजी और अप्रतिबंधित आरक्षित निधियों) की 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं को प्रदान किये जानेवाले वित्त के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित की है।

31 मार्च 2003 को, बैंक के एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ताओं को प्रदान किये गये वित्त (ऋण की बकाया राशियाँ, उपयोग में नहीं लायी गयी मंजूरियों और गारंटी-वायदों के 50 प्रतिशत को जोड़कर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूँजी निधियों के लिए निर्धारित की गई सीमायें क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के भीतर थीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह सूचित किया है

कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को प्रदान किये जाने वाले वित्त के लिए आंतरिक सीमायें लागू करें ताकि विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान किये जाने वाले वित्त समान रूप से फैले रहें। बैंक की वस्त्र उद्योग को जिसकी वित्त प्रदान करने की निर्धारित सीमा 20 प्रतिशत है, को छोड़कर, उद्योग के लिए निर्धारित मानदंड कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत है। 31 मार्च 2003 को, बैंक का किसी एकल उद्योग क्षेत्र को प्रदान किया गया ऋण, वस्त्र सहित कुल प्रदान किये गये ऋण का 11 प्रतिशत से अधिक नहीं था।

राजकोष

बैंक के एकीकृत राजकोषीय परिचालनों को बढ़ाने के लिए नवंबर 2002 में स्टेट ऑफ दि आर्ट डीलिंग रूम स्थापित किया गया है। इस नए डीलिंग रूम से सभी राजकोषीय कार्य नामत: निधि का नियोजन करना (रुपये एवं विदेशी मुद्रा दोनों में) मुद्रा बाज़ार के परिचालन, प्रतिभूतियों पर व्यापार, विदेशी विनिमय व्यवहार आदि इसी नए डीलिंग रूम से किए जाते हैं। फरवरी 2003 में बैंक ने ऑन लाइन विदेशी विनिमय व्यवहार ऑन लाइन संपन्न करने के लिए सी सी आइ एल की विदेशी मुद्रा व्यवहार प्रणाली एफ एक्स-क्लीअर भी स्थापित की है। भारतीय रिज़र्व बैंक एवं क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम के संस्थानों में मुद्रा बाज़ार एवं विदेशी मुद्रा समझौता के लिए बैंक पहला सदस्य है। बैंक के राजकोष द्वारा आयात किये जाने वाले उत्पादों में नकद / टॉम / स्पाट / वायदा विदेशी मुद्रा व्यवहार, ब्याज दर स्वैप्स / अग्रिम दर करार / प्रवाही दर ऋण, ऋण पत्र / गारंटी आदि जारी करना शामिल है। बैंक राजकोष प्रबंधन, व्यापार वित्तपोषण एवं आस्ति-देयता प्रबंधन कार्यों के लिए एक नए सॉफ्टवेयर पैकेज को क्रियान्वित कर रहा है।

एक्ज़िम बैंक की कृषि निर्यात विषयक, नई पहल की शुरुआत अमीरात ग्रेन प्रॉडॅक्ट कम्पनी, शारजाह संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत से गेहूँ के निर्यात के वित्तपोषण के लिए, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण-व्यवस्था के करार पर हस्ताक्षर किये जाने से हुई।

आस्ति-देयता प्रबंधन

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति, नकदी/ब्याज दरों के जोखिमों की समीक्षा करने तथा उनके सुधारात्मक उपायों पर विचार करने के प्रयोजन से महीने में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित करती है। संसाधनों /निधि प्रबंधन की योजना वर्ष के आरंभ में ही बनाई जाती है और वर्ष के दौरान उधार राशियाँ हिस्सों में जुटायी जाती हैं। आस्ति देयता प्रोफाइल में अंतरों के लिए विवेकपूर्ण सीमायें निर्धारित की गई हैं। इनकी समीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है। निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्य का निरीक्षण करती है।

जोखिम प्रबंधन

नए संगठनात्मक ढांचे के अनुसार, जोखिम प्रबंधन, कार्य परिचालन समूहों से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (जो प्र स) विभिन्न जोखिमों निवेश नीतियों एवं विनियामक तथा अनुपालन मुद्दों (पोर्टफोलियो, नकदी, ब्याज दर, ऑफ़-तुलन पत्र एवं परिचालन जोखिम) के संबंध में बैंक के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा करती है। जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति के परिचालनों को भी देखती है।

आस्ति गुणवत्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार जिस ऋण/कर्ज़ सुविधा से

संबंधित देय ब्याज और या मूलधन 180 दिनों से अधिक बकाया बना रहा है, उसकी परिभाषा अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के रूप में की जाती है। बैंक की (प्रावधानों का शुद्ध) अनुपयोज्य आस्तियों का हिसाब लगाने पर वे 31 मार्च 2003 को बैंक के कुल ऋणों और अग्रिमों (प्रावधानों का शुद्ध) का 2.25 प्रतिशत होती हैं जो गत वर्ष 7.13 प्रतिशत के मुकाबले में है।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और / अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 180 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्ति 18 माह से अधिक अवधि से अनुपयोज्य संपत्ति के रूप में होती हैं, ऐसी आस्तियों को 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि की आस्तियाँ' वे होती हैं जो वसूली योग्य नहीं समझी जातीं। 31 मार्च 2003 को कुल ऋणों एवं अग्रिमों की 2.25 प्रतिशत की अनुपयोज्य आस्तियों में अवमानक और संदिग्ध आस्तियों का हिसाब लगाने पर क्रमशः 1.47 प्रतिशत एवं 0.78 प्रतिशत होती है तथा हानि की आस्तियों के लिए पूर्ण रूपेण प्रावधान कर लिया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की देखरेख निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है। इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं। बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य, बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशालिता में वृद्धि हो और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे।

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए श्री के. नुक्ला, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडस्ट्रियल डिवेलपमैंट कॉपोरेशन ऑफ साऊथ अफ्रीका लिमिटेड के साथ-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

V. सूचना और सलाहकारी सेवायें

बैंक, सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषक कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती हैं। ये सेवायें भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय सत्ताओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी पूर्तिकारों का अभिनिर्धारण, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में ही संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अनेक भारतीय कंपनियों को सेवाएं प्रदान की हैं। भारतीय मशीन औज़ार उद्योग, विश्व व्यापार सांख्यिकी एवं चुनिंदा देशों एवं चुनिंदा उत्पादों पर बाज़ार की सूचना उपलब्ध कराई गई; यूनाइटेड किंग्डम में समुद्री घास के खरीददार; दक्षिण अफ्रीका एवं मोज़ांबिक में घरेलू वाटर पम्प एवं सबमर्सिबल पंपों के खरीदारों तथा बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंग्डम, नीदरलैण्ड में मैंगो पल्प के खरीदारों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई।

समुद्रपारीय बहुदेशीय निधिक परियोजनायें

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधीयित परियोजनाओं

का व्यवसाय प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने की सहायता करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवा का पैकेज प्रदान करता है। बैंक ने भारतीय निर्यातक कंपनियों के बीच समुद्रपारीय व्यवसाय के विभिन्न अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है।

एक्ज़िमिअस क्लब

बैंक द्वारा स्थापित एक्ज़िमिअस क्लब की सदस्य कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए बैंक ने सदस्य-कंपनियों को सूचना और सलाहकारी सेवायें प्रदान की हैं। सदस्य कंपनियों को दिये गये इस सेवा के पैकेज में बहुराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निधीयित परियोजनाओं में उनके अवसरों को बढ़ाने की सहायता करने पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है। इन कंपनियों की इंजीनियरी, बिजली पारगमन, शिक्षा, दूर संचार, निर्माण कार्य तथा इंजीनियरी रूपरेखा (डिज़ाइन) के परामर्श जैसे क्षेत्रों की व्यापक श्रेणी की अभिरुचियाँ हैं।

सांस्थानिक संबद्धतायें

अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य सेवा उपलब्ध करानेवालों के साथ नेटवर्किंग बढ़ाने की दृष्टि से बैंक ने निवेश बोर्ड, मॉरिशस, निवेश बोर्ड श्री लंका, एवं दक्षिण अफ्रीका के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के साथ सहयोग समझौता एवं समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। मार्च 2003 में अफ्रीकी विकास बैंक के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने बैंक का दौरा किया। ऐसी अंतरराष्ट्रीय संबद्धताओं से व्यापार एवं निवेश संबंधी सूचना के आदान-प्रदान में सुविधा होती है, संयुक्त उद्यम भागीदारों का पता लगाने, सेमिनार, कार्यशालाएँ आयोजित करने, संकाय की अदला बदली एवं ऋण-व्यवस्थाओं को संपन्न करने में सुविधा होगी।

एक्ज़िम बैंक द्वारा मुंबई में आयोजित सेमिनार में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री ब्रूनो बाल्वेनेरा, व्यवसाय विकास-प्रमुख, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। एक्ज़िम बैंक में, सी आइ एस देशों में यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के साथ सह वित्तपोषण के लिए सहकारिता व्यवस्था विद्यमान है।

डब्ल्यू टी सी ए पुरस्कार 2002

वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एसोसिएशन (डब्ल्यू टी सी ए) पुरस्कार, संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एसोसिएशन द्वारा इस वर्ष पहली बार शुरू किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत संबंधित क्षेत्रों में उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थिरता एवं शांति स्थापित करने में एसोसिएशन के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैंक को, व्यापार के माध्यम से विश्व में स्थिरता लाने के लिए अपने सहयोग हेतु 'बुक ऑफ ऑनॅर अवार्ड' दिया गया है। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विकास की दिशा में एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋण प्रदान कार्यक्रमों, सेवाएँ और समर्थन कार्यक्रमों की विस्तृत श्रेणी को मान्यता प्रदान करता है।

डब्ल्यू टी सी ए ने, 'डब्ल्यू टी सी ए बुक ऑफ ऑनॅर 2002: पीस एण्ड स्टेबिलिटी थ्रू ट्रेड' शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। इस पुस्तक में समूचे विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों का उल्लेख किया गया है तथा संबंधित विश्व व्यापार केन्द्रों का उल्लेख किया गया है। भारत से संबंधित खण्ड में एक्ज़िम बैंक का उल्लेख किया गया है।

निर्यात ऋण एजेंसियों का फोरम

एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की 8वीं वार्षिक बैठक हाल ही में कुआलालम्पुर, मलेशिया में संपन्न हुई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपीन्स और थाइलैंड

से निर्यात ऋण एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एशियाई विकास बैंक, मनीला से एक प्रेक्षक उपस्थित था। बैंको नैशनल दी कामर्सिओ एक्स्टीरीअरल (मैक्सिको) ने उक्त बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया था। बैठक का आयोजन, एशियाई ऋण एजेंसियों समुदाय में, एक दीर्घ आवधिक संबंध को प्रगाढ़ करने के रास्तों पर विचार-विमर्श करना, अनुभवों को बाँटना, अंतर क्षेत्रीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहयोगों को सुदृढ़ बनाना था।

उक्त बैठक, बहुपक्षीय ऋण-पत्र पुष्टिकरण सुविधा करार पर एक्ज़िम बैंक सहित सहभागी संस्थाओं के हस्ताक्षर के साथ सिओल, कोरिया में 2001 में संपन्न हुई वार्षिक बैठक में हुए विचार-विमर्श की चरम बिंदु की द्योतक है।

संरचित ढंग से सूचना के विनिमय तथा विचारों के आदान-प्रदान करने के लिए एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की वार्षिक बैठक के आयोजन की पहल, मूल रूप से भारतीय एक्ज़िम बैंक ने की थी, जिसने भारत में फरवरी 1996 में बंगलूर में तथा जून 1996 में मुंबई में प्रथम दो बैठकों का आयोजन किया था। तब से अब तक यह एक वार्षिक आयोजन बन गया है। जिसका आयोजन क्रमवार एक निर्यात ऋण एजेंसी द्वारा किया जाता है। पहली दो बैठकों के बाद पिछली वार्षिक बैठकें टोक्यो (1997) में बीजिंग (1998) में, बाली (1999) में, बैंकाक (2000) में और सिओल (2001) में संपन्न हुई थीं।

VI. संवर्धनात्मक कार्यक्रम

परामर्श सहायता कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम वाशिंग्टन, डी.सी. के तकनीकी सहायता कार्यक्रम तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अधीन बैंक ने विकासशील देशों के निजी क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्यमों के लिए परामर्श सेवायें प्रदान करने हेतु भारतीय परामर्शदाताओं का प्रायोजन करने और उनका आंशिक वित्तपोषण करने की व्यवस्था की है। समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने मीकाँग परियोजना विकास सुविधा और- दक्षिण-पूर्व यूरोप उद्यम विकास के अधीन परियोजनाओं के लिए दो भारतीय परामर्शदाताओं को प्रायोजित किया था। इन परामर्शदाताओं का चयन, वियतनाम और बोस्निया एवं हरज़ेगोविना में टायर और ओ टी सी उत्पादों के क्षेत्र में सुपुर्द नियत कार्यों के लिए किया गया था।

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ तीन नई व्यवस्थाएँ की हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की चीन परियोजना विकास सुविधा, दक्षिण एशिया उद्यम विकास सुविधा, और निजी उद्यम साझेदारी के अधीन चीन, दक्षिण एशिया , सी आइ एस के देशों में भारतीय परामर्शदाताओं की सेवाओं के उपयोग को सहायता देना तथा उसे सुगम बनाना है। इन व्यवस्थाओं के अधीन भारतीय परामर्शदाता, जिनका वित्तपोषण आंशिक रूप से एक्ज़िम बैंक द्वारा किया जाएगा, लघु अवधि के सुपुर्द नियत कार्य, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा चीन, दक्षिण एशिया के देशों, वर्तमान में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और उत्तर पूर्व भारत और अर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारुस, जार्जिया क्रिघिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन और उज़्बेकिस्तान में

एक्ज़िम बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ निकट का सहयोग रखता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुआलालम्पुर में हुई एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की आठवीं वार्षिक बैठक में प्रतिभागी निर्यात ऋण एजेंसियों के बीच बहुदेशीय ऋण-पत्र सम्पुष्टि सुविधा करार पर हस्ताक्षर किये गये।

प्रायोजित परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा।

एक्ज़िमिअस ज्ञान केन्द्र

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक के एक्ज़िमिअस ज्ञान केन्द्र, बंगलूर ने पच्चीस कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इन कार्यक्रमों में चार, देश विशिष्ट में व्यवसाय के अवसर विषयक सेमिनार थे जो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा और श्री लंका जैसे देशों के विषय में थे। केन्द्र ने निम्नलिखित विषयक आठ कार्यशालाओं का आयोजन किया था : कॉर्पोरेट ट्रेज़री और रिस्क मैनेजमेंट; कमर्शियल एण्ड लीगल ऐस्पेक्ट ऑफ इंटरनैशनल कॉंट्रेक्टिंग; एक्सपोर्ट पैकेजिंग - मशीन टूल्स, टेक्सटाइल्स, गार्मेंट्स एण्ड एग्रीकल्चर प्रॉडॅक्ट्स; सॉफ्टवेयर क्वालिटी एण्ड सी एम एम आइ स्टेंडर्डर्स; प्राइस रिस्क मैनेजमैंट एण्ड सिक्यूरिटाइजेशन फॉर एग्री-बिज़नेस एण्टर प्राइज़ेज; सर्टिफिक्केशन एण्ड मार्केटिंग रिक्वायरमैंट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल; इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंजीनियरिंग प्रॉडॅक्ट्स टू डिवेलप्ड कंट्री मार्केट्स; एक्सपोर्ट मार्केटिंग एण्ड सोर्सिंग फॉर फाइन एण्ड स्पेशियालिटी केमिकल्स; एण्ड डब्ल्यू टी ओ इम्प्लिकेशन ऑन इण्डियन इण्डस्ट्री। कुछ सेमिनार और कार्यशालाएं अनेक केन्द्रों पर आयोजित की गई थीं।

केन्द्र ने, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं में व्यवसाय के अवसर विषयक कार्यक्रम मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित किये थे।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक ने, भारतीय उद्योग महासंघ के सहयोग से किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्य प्रणालियों के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करना प्रारंभ किया है। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड के मॉडल पर आधारित है। व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए भारतीय उद्योग महासंघ-एक्ज़िम बैंक पुरस्कार वर्ष 2002 के लिए इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को प्रदान किया है, जो एक ऐसी कंपनी है जिसने भारतीय उद्योग के लिए नए बैंचमार्क स्थापित करने और विश्व बाज़ार में महत्त्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. तिरुची जिसने निरन्तर सुधार विषयक अपने प्रयासों में दृढ प्रतिज्ञा प्रदर्शित की है; वह सरकारी क्षेत्र का प्रथम उपक्रम था जिसे इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। चार कंपनियाँ नामत: अलेक्जेंड्रा कार्बन ब्लैक, मिस्र; बिड़ला सेलूलोसिक; हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड; और थाइ कॉर्बन ब्लैक; थाइलैंड को, व्यवसाय उत्कृष्टता की दिशा में उनकी यात्रा में तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए, प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किये हैं।

एक्ज़िम बैंक ने, भारतीय उद्योग महासंघ के सहयोग से "व्यवसाय उत्कृष्टता" पुरस्कार की संस्थापना की है। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमैंट अवार्ड के मॉडल पर आधारित है। वर्ष 2002 का पुरस्कार इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को प्रदान किया गया।

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने सूचना की बेहतर सहभागिता के लिए तथा सिस्टम इंटेलिजेंस क्षमताओं में वृद्धि करने के अपने प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्रबंधन टूल्स के उपयोग में वृद्धि की पहलों को करना जारी रखा है।

आयोजना एवं बजटिंग; देश के विश्लेषण; उद्योग विश्लेषण; जोखिम उपाय और विश्लेषण; बैंक के विविध प्रकार्य क्षेत्रों से युक्त एक एकीकृत आँकड़ा आधार सहित एक कोर सिस्टम जो डाटा वेयर हाउसिंग और संबंधित विश्लेषण में अग्रगामी है; व्यापार वित्त, राजकोष और आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विशेषीकृत पैकेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सिस्टम को सक्षम बनाया गया है तथा उनका कोटि उन्नयन किया गया है। इन क्षेत्रों के सिस्टम में रणनीतिक आयोजना, आंतरिक सेवा प्रदान करना,

ग्राहक इंटरफेस और ऑनलाइन ट्रेकिंग शामिल हैं।

बैंक की वेब साइट

(www.eximbankindia.com) का आंतरिक और बाह्य घटकों के लिए वृद्धिशील रूप में एक बिंदु सूचना स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

बैंक के कृषि-व्यापार पहल को सुसज्जित करने के लिए बैंक ने एक कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.com) स्थापित किया है। पोर्टल के अभिलक्षणों में निर्यात बाज़ारों पर उत्पाद-वार सूचना; परिचालन संरचना (फ्रेमवर्क) जैसे प्रमाणीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, नीतियाँ, योजनाओं और सहायता, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, समाचार-पत्र, उदाहरण के लिए, द्विमासिक समाचार पत्र, कृषि निर्यात लाभ, प्रकरण अध्ययन बैंच मार्किंग और गुणवत्ता संबद्ध सूचना; बैंक की संबद्ध घटनाएँ; संक्षिप्त संदेश - बोर्ड; विश्व व्यापार पर संबंधित सूचना, बॉयोटेक्नोलॉजी, आर्गेनिक फार्मिंग; और उपयोगी संपर्क उपलब्ध हैं। इसके आरम्भ काल से पोर्टल विभिन्न व्यवसायों के अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है।

VIII. शोध एवं विश्लेषण

बैंक ने 1989 में 'अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र और संबंधित वित्तपोषण' के क्षेत्र में शोध के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य अर्थशास्त्र और संबंधित वित्तपोषणों में भारतीयों द्वारा भारत और विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं में शोध का संवर्धन करना है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपये की राशि और एक प्रशस्तिपत्र शामिल है। वर्ष 2002 के पुरस्कार के विजेता, डॉ. प्रवीण कुमार, सीनियर कंट्री ईकोनोमिस्ट विश्व बैंक वाशिंग्टन डी.सी. और डॉ. व्रति शंकर चक्रवर्ती, प्राध्यापक -अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विभाग, जाधवपुर विश्वविद्यालय को क्रमशः उनके शोध प्रबंधों 'इंक्रीज़िंग वेज इनईक्विलिटी इन डिवेलप्ड कंट्रीज़-रोल ऑफ चेंजिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी एण्ड फैक्टर इनडाउमैंट्स' और 'एसेज़ ऑन ट्रेड इन गुड्स एण्ड फैक्टर मूवमेंट्स अंडर इन्क्रीज़िंग रिटर्न्स टू स्केल' पर प्रदान किया गया है।

पूर्वी राज्य बिहार, लीची फल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातकर्ता है। एक्जिम बैंक के प्रकाशन, 'बिहार और झारखण्ड से बागवानी उत्पादों के निर्यात की संभावना' का विमोचन पटना में माननीय केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने किया।

समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने चार प्रासंगिक आलेख प्रकाशित किये हैं, जिनमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं: पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ आइ टी इनेबल्ड सर्विसेज़ फ्राम नार्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया; बिहार और झारखंड से बागवानी उत्पादों की निर्यात की संभावनाएं; इंक्रीज़िंग वेज इनईक्विलिटी इन डिवेलप्ड कंट्रीज़-रोल ऑफ चेंजिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी एण्ड फैक्टर इनडाउमैंट्स; और एसेज़ ऑन ट्रेड इन गुड्स एण्ड फैक्टर मूवमेंट्स अंडर इंक्रीज़िंग रिटर्न्स टू स्केल।

वर्ष के दौरान, बैंक ने चार वर्किंग आलेख भी प्रकाशित किये हैं। इन आलेखों के विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं: स्नैप मार्केट सर्वे फॉर फार्मास्यूटिकल प्रॉडॅक्ट्स इन साऊथ अफ्रीका; हैल्थ इन्श्योरेंस पोर्टेबिलिटी एण्ड एकाउंटेबिलिटी एक्ट (यू एस ए) - एच आइ पी ए ए : एन ऑपार्च्युनिटी फॉर इंडियन आइ टी कंपनीज़; इंडियन सीमेंट इंडस्ट्रीज़; पर्सपेक्टिव एण्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल; और ट्रांजेक्शन कॉस्ट्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट : ए रीव्यू।

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने एक पुस्तक 'भारतीय स्वास्थ्यवर्धकों का निर्यात' शीर्षक से प्रकाशित की है। इस अध्ययन में आयुर्वेद और सिद्ध उत्पादों और

सेवाओं की निर्यात संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2003 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 167 थी जिसमें ऐसे 109 व्यावसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, व्यवसाय शालाओं के स्नातक, विधिक और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय एवं प्रलेखन विशेषज्ञ और कार्मिक एवं कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं। इस व्यावसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक का यह उद्देश्य है कि वह अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर कोटि उन्नयन करे। 2002-03 के दौरान 126 अधिकारियों ने, बैंक के परिचालनों से संबद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में औद्योगिक वित्त, विदेशी विनिमय और वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन, दस्तावेज़ी ऋण, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का वित्तपोषण, मार्केटिंग फॉर बिज़नेस ग्रोथ, अनुपयोज्य आस्तियों का प्रबंधन और वसूली रणनीतियाँ, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन; कम्प्यूटर शिक्षण का कोटि उन्नयन, एशियन डिजीटल पुस्तकालय, वैयक्तिक विकास और व्यवसायी सफलता, संगठनों में समूह निर्माण और समूह कार्य, गैर वित्त अधिकारियों के लिए वित्त, विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन के प्रभाव पर समर्थन प्रणाली संस्था का अधिकारियों की क्षमता सृजन कार्यक्रम, निर्यातकों और लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी, शामिल हैं।

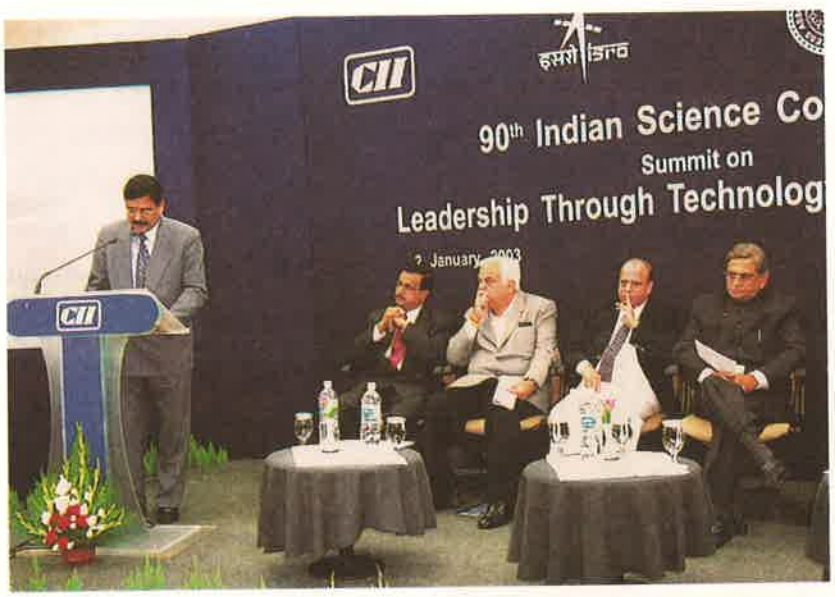

90 वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, बंगलूर के दौरान आयोजित ज्ञान आधारित उद्योग, की निर्यात संभाव्यता एक्जिम बैंक के लिए वरीयता का क्षेत्र है। बैंक ने 'लीडरशिप थ्रू टेक्नालॉजी एण्ड इन्नोवेशन' शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उक्त अवसर पर श्री एस. एम. कृष्णा, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, श्री के कस्तूरी रंगन, अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और श्री आर. वी. देशपाण्डे, माननीय उद्योग मंत्री कर्नाटक सरकार दिखाई दे रहे हैं।

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है :

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंक की गृह पत्रिका एक्ज़िमिअस को वर्ष 2000-01 के लिए वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।

(ii) 'ग' क्षेत्र में स्थित बैंक के कार्यालयों को, वर्ष 2001-02 के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर शील्ड के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में प्रथम घोषित किया गया है।

(iii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) पुणे, ने वर्ष 2001-2002 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से बैंक के प्रधान कार्यालय के सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है।

(iv) बैंक के कोलकाता कार्यालय ने बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता की ओर से वर्ष 2001-02 के दौरान हिन्दी के कार्यान्वयन के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

(v) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई की सिफारिश पर, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद ने, बैंक के प्रभारी हिन्दी अधिकारी को बैंक में हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए रजत पदक से सम्मानित किया है।

(vi) भारतीय संस्कृति संस्थान ने बैंक में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार 'राजभाषा सारथी शील्ड' के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को चुना है। संस्थान ने, हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों को अन्य पुरस्कारों से सम्मानित करने की भी घोषणा की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है। संसदीय राजभाषा समिति की साक्ष्य समिति ने दिसम्बर 2002 में बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से चौदह हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना बैंक में लागू है। इस योजना के अंतर्गत तीन अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। राजभाषा नीति का अनुपालन और सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जाँच-बिंदु कार्य कर रहे हैं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिन्दी में भी में जारी की गई हैं। ऋण करारों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए गए हैं। बैंक के परिचालनों और क्रियाविधि संबंधी साहित्य के अतिरिक्त, बैंक के स्थापना दिवस के वार्षिक व्याख्यान और प्रासंगिक आलेख हिन्दी में प्रकाशित किये गये हैं।

एक्ज़िम बैंक, अपने परिचालनों में, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सदैव अग्रिम पंक्ति में रहा है। गृह पत्रिका प्रतियोगिता में बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है। डॉ. विमल जालान, गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक के कर कमलों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 01 सितम्बर, 2002 से प्रारंभ होनेवाला हिन्दी पखवाड़ा, प्रधान कार्यालय में मनाया गया है। इस आयोजन के एक अंग के रूप में श्री नितीश भारद्वाज एक लोकप्रिय रंगकर्मी / निदेशक को अपने अनुभव सुनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्जिमिअस : एक्सपोर्ट एडवांटेज' का हिन्दी रूपांतर 'एक्जिमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया है। बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज' के सभी अंकों को भी हिन्दी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया था।

बैंक की गृह पत्रिका 'एक्जिमिअस' में हिन्दी खंड होता है। सितम्बर 2002 को समाप्त तिमाही के लिए एक्जिमिअस पत्रिका का हिन्दी विशेषांक प्रकाशित किया गया है।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में और वर्ष 2002-03 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्त, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों के साथ-साथ शास्त्रीय विषयों तथा समसामयिक साहित्य से समृद्ध बनाया गया है। बैंक में हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति किये जाने की प्रगति की समीक्षा करने के प्रयोजन से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

तिमाही अंतरावधियों में आयोजित की गई हैं।

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2003 को अपने 167 कर्मचारियों की कुल संख्या वाले बैंक में 23 अनुसूचित जाति, 15 अनुसूचित जनजाति और 14 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं। बैंक ने इन कर्मचारी सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली और भारतीदासन प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां प्रदान करना जारी रखा है।

आभार प्रदर्शन

बैंक ने व्यापार और निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों के साथ योजनाबद्ध रूप में निर्मित और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के उपयोगी संबंध विकसित किये हैं। बैंक के कार्य में भारतीय उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), एस्सोचेम, राष्ट्रीय कम्प्यूटर और सेवा कंपनी संघ (नैस्सकॉम), फिओ, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई ई पी सी), इंडो-ई यू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों तथा विभिन्न केन्द्रों के वाणिज्य मंडल एवं आर्थिक शोध संस्थान, जानकारी और सहायता के महत्त्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। बैंक ने उद्योग, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण-गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर अपने मूल वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों के भारतीय दूतवासों के साथ अंतःक्रिया से निर्यातों की सहायता करने के अपने प्रयासों में शक्ति और महत्त्व प्राप्त किया है। बैंक सभी बहुदेशीय एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर एसोसिएशन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक्जिम बैंक को व्यापार के माध्यम से विश्व में स्थिरता एवं शांति स्थापित करने के प्रयासों को मान्यता देते हुए 'बुक ऑफ ऑनर' पुरस्कार से सम्मानित किया है।

बैंक के कर्मचारियों ने व्यवसाय संवृद्धि और नई पहलों के अनुष्ठान में, प्रतिबद्धता और समर्पण का उच्च स्तर प्रदर्शित किया है। बैंक की सहभागितापूर्ण और व्यावसायिक कार्य संस्कृति, बैंक के लिए शक्ति का निरंतर स्रोत रही है।

निदेशक मंडल

समीक्षा वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुए हैं। डॉ. अशोक के. लाहिरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, श्री वाइ.एस.पी.थोरात, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री ए.के.पुरवार अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक को, निदेशक मंडल में, निदेशकों के पदों पर नियुक्त किया गया है। श्री एस. एल. परमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री जानकी वल्लभ, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी अधिवर्षिता के परिणामस्वरूप निदेशकों के पद छोड़ दिये हैं। निदेशक मंडल, उनके द्वारा निदेशक के रूप में दिये गये अमूल्य योगदानों के लिए उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता है। निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा बैंक के प्रयासों को उत्सुकता से समर्थन और प्रोत्साहित किया गया है।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2003 को
एवं
2002-03 का
लाभ और हानि लेखा

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार को 450 मिलियन रुपये का लाभांश अदा किया। श्री आनंदराव अडसुल, माननीय केन्द्रीय वित्त (व्यय, बैंकिंग और बीमा) राज्य मंत्री, श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन, प्रबंध निदेशक, एक्ज़िम बैंक से चेक प्राप्त करते हुए।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2003 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2003 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2002 को) रुपये
1.	पूँजी	I	6,499,918,881	6,499,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	13,170,904,893	12,026,412,246
3.	लाभ और हानि लेखा	III	450,000,000	420,000,000
4.	नोट, बाँड् एवं डिबेंचर		64,902,091,020	33,158,105,018
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	9,120,755,855	3,416,000,000
7.	उधार राशियाँ	V	16,466,863,518	16,619,145,938
8.	चालू देयताएँ एवं प्रावधान		11,714,820,680	9,185,255,542
9.	अन्य देयताएँ		863,679,671	1,408,703,116
10.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित निधि		–	–
	योग		123,189,034,518	82,733,540,741

आकस्मिक देयताएँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2003 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2002 को) रुपये
(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	16,132,906,000	11,273,281,000
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	14,245,500	14,640,000
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	313,540,000	19,590,000
	योग	16,460,691,500	11,307,511,000

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2003 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2002 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	12,704,535,257	2,995,374,533
2.	निवेश	VII	16,410,790,311	7,762,265,964
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	86,886,380,899	66,102,416,362
4.	खरीदे गये, भुनाये गये, पुनः भुनाये गये बिल	IX	850,000,000	2,157,500,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	503,045,243	504,734,438
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	5,834,282,808	3,211,249,444
7.	लाभ और हानि लेखा		–	–
	योग		123,189,034,518	82,733,540,741

टिप्पणी :- 1. नकदी एवं बैंक शेष में, बैंकों के पास सावधि जमा राशियाँ शामिल हैं।
2. जहाँ कहीं आवश्यक था, पिछले आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

दीपक चटर्जी
पी. पी. वोरा
डॉ. पुलिन नायक

शेखर अग्रवाल
पी. एम. ए. हकीम
डॉ. एस. चंद्रा
निदेशक

वाइ. एस. पी. थोरात
ए. के. पुरवार
डॉ. विनयशील गौतम

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2003

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	4,903,108,855	4,257,052,997
2.	ऋण बीमा (गारंटी फीस सहित)	40,072,044	38,944,163
3.	स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ	67,367,098	53,925,651
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय	481,358	429,941
5.	लेखा परीक्षा की फ़ीस	250,000	200,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली एवं बीमा प्रीमियम	56,414,160	43,591,321
7.	डाक व्यय, तार एवं टेलेक्स	13,557,562	14,514,854
8.	विधि विषयक व्यय	5,894,501	11,935,572
9.	अन्य व्यय	163,553,566	143,805,511
10.	मूल्यह्रास	58,813,885	60,313,847
11.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित राशि में अंतरित	–	–
12.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	2,686,032,647	2,211,573,566
	योग	7,995,545,676	6,836,287,423
	आय कर के लिए प्रावधान	620,000,000	500,000,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	2,066,032,647	1,711,573,566
		2,686,032,647	2,211,573,566

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक के यथा 31 मार्च 2003 को सामान्य निधि के तुलन-पत्र का तथा उससे संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखा का भी लेखा परीक्षण किया है और हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि :

1. हमने अपनी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप अपने लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये और उन्हें संतोषजनक पाया है।
2. हमारी राय में, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किए गये हैं।
3. हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त तुलन-पत्र एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों का समावेश है और जिसे यथा 31 मार्च 2003 को बैंक की सामान्य निधि के क्रियाकलापों को सत्य एवं समुचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु यथा विधि तैयार किया गया है।

कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2003

सामान्य निधि

आय

	इस वर्ष	गत वर्ष
	रुपये	रुपये
(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)		
1. ब्याज और बट्टा	6,930,423,186	6,008,494,756
2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	643,748,227	694,852,610
3. अन्य आय	421,374,263	132,940,057
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
योग	7,995,545,676	6,836,287,423
लाभ, नीचे लाया गया	2,686,032,647	2,211,573,566
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	2,686,032,647	2,211,573,566

टिप्पणी : 1. आय में, खज़ाना परिचालनों, निवेशों तथा बैंक जमा राशियों के कारण प्राप्त 2.22 बिलियन रुपये (गत वर्ष 1.62 बिलियन रुपये) शामिल हैं।

2. जहाँ कहीं आवश्यक था, पिछले आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

दीपक चटर्जी **शेखर अग्रवाल** **वाइ. एस. पी. थोरात**
पी. पी. वोरा **पी. एम. ए. हकीम** **ए. के. पुरवार**
डॉ. पुलिन नायक **डॉ. एस. चंद्रा** **डॉ. विनयशील गौतम**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2003

जी. पी. घोष
साझेदार

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2003 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2003 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2002 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	10,000,000,000	10,000,000,000
	2. निर्गमित एवं प्रदत्त :		
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	6,499,918,881	6,499,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित :**		
	1. आरक्षित निधि	10,189,214,329	9,467,981,682
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	गारंटी व पुनर्वित्त कार्यक्रम के लिए आरक्षित राशि		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	251,371,500	415,211,500
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	470,319,064	433,219,064
	4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	2,260,000,000	1,710,000,000
		13,170,904,893	12,026,412,246
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	2,066,032,647	1,711,573,566
	2. घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	721,232,647	522,773,566
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	250,000,000	150,000,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	37,100,000	38,800,000
	- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	550,000,000	580,000,000
	- लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के प्रावधान	57,700,000	–
	3. निवल लाभ का शेष (एक्जिम बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरणीय)	450,000,000	420,000,000
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	129,247,925	–
	(ख) भारत के बाहर	8,991,507,930	3,416,000,000
		9,120,755,855	3,416,000,000
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
	1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	–	–
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	–	–
	2. भारत सरकार से	107,666,669	123,000,002
	3. अन्य स्रोतों से		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	16,359,196,849	16,496,145,936
		16,466,863,518	16,619,145,938
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
	1. हाथ में नकदी	75,114	276,417
	2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	2,760,837	3,709,929
	3. अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में	9,565,868,999	153,377,839
	(ख) भारत के बाहर	3,035,830,307	2,438,010,348
	4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	100,000,000	400,000,000
		12,704,535,257	2,995,374,533

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2003 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2002 को) रुपये
अनुसूची VII :	**निवेश :**		
	1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	5,726,400,328	1,128,615,000
	2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,072,405,883	1,081,459,489
	3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	–	–
	4. नोट, डिबेंचर एवं बॉंड	3,709,684,100	3,421,051,475
	5. अन्य	5,902,300,000	2,131,140,000
		16,410,790,311	7,762,265,964
अनुसूची VIII:	**ऋण एवं अग्रिम :**		
	1. विदेशी सरकारें	180,331,539	180,641,087
	2. बैंक :		
	(क) भारत में	15,846,759,657	341,710,481
	(ख) भारत के बाहर	1,520,794,138	1,327,974,563
	3. वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	214,047,184	249,190,072
	4. अन्य	69,124,448,381	64,002,900,159
		86,886,380,899	66,102,416,362
अनुसूची IX :	**खरीदे गये, भुनाये गये तथा पुनः भुनाये गये बिल :**		
	(क) भारत में	850,000,000	2,157,500,000
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		850,000,000	2,157,500,000
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :** (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
	1. परिसर	428,143,085	441,158,804
	2. अन्य	74,902,158	63,575,634
		503,045,243	504,734,438
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :**		
	1. निवेशों तथा ऋणों पर उपचित ब्याज़	1,423,661,569	1,127,480,517
	2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	1,170,503	1,589,596
	3. विविध पक्षों के पास निक्षेप	21,514,783	5,345,768
	4. अन्य	4,387,935,953	2,076,833,563
		5,834,282,808	3,211,249,444

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2003 को

देयताएँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2003 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2002 को) रुपये
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	35,751,693	39,247,318
5.	लाभ और हानि लेखा	145,489,880	129,947,802
	योग	309,549,360	297,502,907

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	–	–

टिप्पणी : एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि निर्यात संवर्धन विकास निधि की कोई भी आय, लाभ अथवा उसमें प्रोद्भूत होनेवाले अभिलाभ अथवा इस निधि में जमा किये जाने के लिए प्राप्त राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा), वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998 द्वारा 1 अप्रैल 1999 से लोप किया गया है। एक्ज़िम बैंक को यह सूचित किया गया है कि, उक्त धारा चूँकि 31 मार्च 1999 तक प्रभावी थी अतः यह छूट, लेखा वर्ष 1998-99 की समाप्ति तक निधि को प्रोद्भूत अथवा उद्भूत आय के संबंध में उपलब्ध रहेगी। आयकर प्राधिकारियों ने कर निर्धारण आदेश भी पास किया था और एक्ज़िम बैंक ने इस मामले में अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के लिए 6.62 मिलियन रुपये की कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के लिए अनुवर्तन कर रहा है।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2003 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2002 को)
		रुपये	रुपये
1.	बैंक शेष	271,192,125	255,015,272
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	खरीदे गये / भुनाये गये बिल :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ	29,851,917	33,982,317
6.	लाभ और हानि लेखा	–	–
	योग	309,549,360	297,502,907

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

दीपक चटर्जी **शेखर अग्रवाल** **वाइ. एस. पी. थोरात**
पी.पी. वोरा **पी. एम. ए. हकीम** **ए. के. पुरवार**
डॉ. पुलिन नायक **डॉ. एस. चंद्रा** **डॉ. विनयशील गौतम**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2003

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	22,650,078	25,506,097
	योग	22,650,078	25,506,097
	आय कर के लिए प्रावधान	7,108,000	9,106,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	15,542,078	16,400,097
	योग	22,650,078	25,506,097

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के यथा 31 मार्च 2003 के तुलन-पत्र का तथा उससे संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के लाभ और हानि लेखे का भी लेखा परीक्षण किया है और हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि:

1. हमने अपनी श्रेष्ठतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप अपने लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये और उन्हें संतोषजनक पाया है।
2. हमारी राय में, तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप समुचित रूप से तैयार किए गये हैं।
3. हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी में और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त तुलन-पत्र एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों का समावेश है और जिसे यथा 31 मार्च 2003 को बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के क्रियाकलापों को सत्य एवं समुचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु यथा विधि तैयार किया गया है।

कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2003

निर्यात संवर्धन निधि

आय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
	(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)		
1.	ब्याज और बट्टा	22,650,078	25,506,097
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	–	–
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	22,650,078	25,506,097
	लाभ , नीचे लाया गया	22,650,078	25,506,097
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	योग	22,650,078	25,506,097

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

दीपक चटर्जी **शेखर अग्रवाल** **वाइ. एस. पी. थोरात**
पी.पी. वोरा **पी. एम. ए. हकीम** **ए. के. पुरवार**
डॉ. पुलिन नायक **डॉ. एस. चंद्रा** **डॉ. विनयशील गौतम**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2003

लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. चूँकि भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को इराक में सुगम बनाने के लिए एक्ज़िम बैंक केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव बैंक को सूचित की गई 32,635,851,422 रुपये (पिछले वर्ष 33,539,634,580 रुपये) की तुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ जो एजेंसी खाते में धारित थीं, जिसमें 29,490,154,497 रुपये की राशि, जो कि भारत सरकार को समनुदेशित थी, उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई है।

2. एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित था कि एक्ज़िम बैंक द्वारा व्युत्पन्न किसी भी लाभ अथवा अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा), 1 अप्रैल, 1999 से, वित्त (सं.2), अधिनियम, 1998 द्वारा निकाल दी गई है। एक्ज़िम बैंक को सूचित किया गया था कि चूँकि उक्त धारा 31 मार्च, 1999 तक लागू थी अतएव लेखा वर्ष 1998-99 के अंत तक उपचित होनेवाली अथवा उत्पन्न होनेवाली आय के लिए छूट उपलब्ध होगी। तथापि एक्ज़िम बैंक ने कराधान के लिए प्रावधान किया था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि का निर्माण कर लिया है तथा उसने इस मामले में अपने अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के 792.2 मिलियन रुपये की कर की तथा 62.5 मिलियन रुपये ब्याज कर की अदायगी भी कर दी थी और वह कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के मामले का अनुवर्तन कर रहा है। आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए की गई मांग के सम्मुख भी बैंक ने आंशिक अदायगी की थी। बैंक अदा किये गये कर की अदायगी की वापसी के मामले का अनुवर्तन कर रहा है। निर्धारण वर्ष 1999-00 और 2000-01 के लिए ब्याज कर की मांग पर अपील की गई है। उपर्युक्त मुद्दों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों और काउंसॅल के मत के आधार पर कराधान के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

3. 31 मार्च 2003 को बकाया वायदा संविदाओं की राशि 63.5 मिलियन रुपये थी (पिछले वर्ष 315.2 मिलियन रुपये थी) और इनकी पूरी तरह से बचाव-व्यवस्था कर ली गई है।

4. 31 मार्च 2003 को पूँजी

(क)	(i) पूँजी से जोखिम आस्तियों का अनुपात (सी आर ए आर)	26.92%
	(ii) पूँजी से जोखिम आस्तियों का महत्त्वपूर्ण अनुपात	25.89%
	(iii) पूँजी से जोखिम आस्तियों का अनुपूरक अनुपात	1.03%

(ख) 'नोट बाण्ड और डिबेंचर' में 8% 2022 बाण्ड शामिल है जिसमें सरकार ने 5.59 बिलियन रुपये का अभिदान किया है। ये बांड प्रतिभूति रहित हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों/जमाओं/अधीनस्थ कर्ज़ों के मुकाबले क्रम-व्यवस्था में कनिष्ठ हैं और इनकी गुणवत्ता बैंक की स्तर-I पूँजी के लिए होगी जो भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन होगी।

(ग) 31 मार्च 2003 को स्तर - II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गैर ऋण की राशि : कुछ नहीं

(घ) जोखिमवाली आस्तियाँ -

(i) तुलन-पत्र की 'चालू (ऑन)' मदें : 80.10 बिलियन रुपये

(ii) तुलन-पत्र की 'बंद (ऑफ)' मदें : 9.65 बिलियन रुपये

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप : भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व।

- *पूँजी से जोखिम आस्तियों का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता के मानदंडों के अनुसार किया गया है।*

5. 31 मार्च 2003 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) कुल शुद्ध ऋणों और अग्रिमों से शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियों की प्रतिशतता : 2.25 (गत वर्ष 7.13)

(ख) निर्धारित आस्ति की वर्गीकरण-श्रेणियों के अधीन अनुपयोज्य-आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

	राशि (बिलियन रुपये)	प्रतिशतता
अवमानक आस्तियाँ	1.20	1.47
संदिग्ध आस्तियाँ	0.64	0.78
हानि आस्तियाँ	–	–
	1.84	2.25

(ग) इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किये गये प्रावधान :

	राशि (बिलियन रुपये)
मानक आस्तियाँ	0.57
अनुपयोज्य आस्तियाँ	0.62
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं) - कुल हानि	(-)0.10
आय-कर	0.62

(घ) शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियों की घट-बढ़ :

	राशि (बिलियन रुपये)
यथा 1 अप्रैल, 2002 को शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियाँ	4.48
2002-03 के दौरान नई अनुपयोज्य आस्तियाँ	1.13
2002-03 के दौरान वसूलियाँ/कोटि उन्नयन	3.77
यथा 31 मार्च 2003 को शुद्ध अनुपयोज्य-आस्तियाँ	1.84

(ङ) अनुपयोज्य-आस्तियों (ऋण, बांड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर - निगमित जमा राशियाँ शामिल करके) (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) के लिए प्रावधान

	राशि (बिलियन रुपये)
वित्तीय वर्ष के आरंभ में, प्रारंभिक जमा	5.38
जमा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2.17
घटा : अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	1.55
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	6.00

(च) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान :

		राशि (बिलियन रुपये)
	वित्तीय वर्ष के आरंभ में, प्रारंभिक जमा	0.24
	जमा :	
i.	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	–
ii.	वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से विनियोजन यदि कोई हैं.	0.41
	घटा :	
i.	वर्ष के दौरान बट्टा खाता	0.51
ii.	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई हैं	कुछ नहीं
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष	0.14

(छ) यथा 31 मार्च, 2003 को पुनर्संरचित मानक आस्तियाँ : 3.93 बिलियन रुपये (गत वर्ष 1.18 बिलियन रुपये)।

(ज) यथा 31 मार्च 2003 की पुनर्संरचित अवमानक आस्तियाँ : 0.05 बिलियन रुपये (गत वर्ष 2.19 बिलियन रुपये)।

(झ) यथा 31 मार्च 2003 को पुनर्संरचित किया गया निगमित कर्ज़ :

		राशि (बिलियन रुपये)
(क)	पुनर्संरचित निगमित कर्ज़ (क = ख + ग + घ) के अधीन पुनर्संरचित के अध्याधीन ऋण-आस्तियों की कुल राशि	0.53
(ख)	पुनर्संरचित निगमित कर्ज़ के अध्याधीन मानक आस्तियों की राशि	0.53
(ग)	पुनर्संरचित निगमित कर्ज़ के अध्याधीन अवमानक आस्तियों की राशि	कुछ नहीं
(घ)	पुनर्संरचित निगमित कर्ज़ के अध्याधीन संदिग्ध आस्तियों की राशि	कुछ नहीं

(ञ) प्रदान किया गया ऋण :

	पूँजी निधियों * की प्रतिशतता	कुल प्रदान किये गये ऋण समायोजित की प्रतिशतता (ए टी सी ई)
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	10.40	1.95
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	12.04	2.26
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	68.56	12.88
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	82.00	15.40

* यथा 31 मार्च 2002 को पूँजी निधियाँ

ए टी सी ई : ऋण + अग्रिम राशियां + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियों का 50% ।

बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किये गये ऐसे ऋण जिनकी गारंटी सरकार ने दी है, उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

(ट) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान किया गया ऋण :

क्षेत्र	कुल प्रदान किये गये ऋण समायोजित की प्रतिशतता (ए टी सी ई)
i) वस्त्र और परिधान	10.31
ii) इंजीनियरी माल	9.28
iii) औषधियाँ और औषधि द्रव्य	9.23
iv) धातु और धातु प्रसंस्करण	8.88
v) रसायन और रंजक द्रव्य	8.70

- *प्रदान किये गये "ऋण (क्रेडिट एक्सपोज़र)" का हिसाब तारीख 28 जून 1997 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डूज. एफ आइ डी. सं. 17/01.02.00/96-97 में निर्धारित किये गये अनुसार लगाया गया है।*

  बैंकों को पुनर्वित्त और समुद्रपारीय सत्ताओं को ऋण-व्यवस्थाएँ / क्रेता ऋण को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

6. चलनिधि :

(क) रुपया-आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता-स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता-स्वरूप।

(बिलियन रुपये में)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	41.33	42.13	18.07	12.86	22.66	137.05
विदेशी मुद्रा की आस्तियाँ	16.18	8.43	5.93	2.13	2.00	34.67
कुल आस्तियाँ	57.51	50.56	24.00	14.99	24.66	171.72
रुपया देयतायें	34.10	16.16	23.47	7.02	47.76	128.51
विदेशी मुद्रा की देयतायें	14.75	8.39	3.71	0.75	6.00	33.60
कुल देयतायें	48.85	24.55	27.18	7.77	53.76	162.11

- *आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन (बकेटिंग) आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित तारीख 31 दिसम्बर 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी. सं. सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-समूहों (बकेट्स) में किया गया है।*

7. परिचालनगत-परिणाम :

(क) औसत कार्यशील निधियों की ब्याज आय की प्रतिशतता : 7.07 (पिछले वर्ष 7.79)
(ख) औसत कार्यशील निधियों की ब्याजेतर आय की प्रतिशतता : 1.09 (पिछले वर्ष 1.07)
(ग) औसत कार्यशील निधियों के परिचालन-लाभ की प्रतिशतता : 3.39 (पिछले वर्ष 3.59)
(घ) औसत आस्तियों से प्राप्त प्रतिफल : 2.11% (पिछले वर्ष 2.22%)
(ङ) प्रति (स्थायी) कर्मचारी शुद्ध लाभ : 12.4 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 10.5 मिलियन रुपये)

- *परिचालनगत-परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को पिछले लेखा वर्ष के अंत, अनुवर्ती छमाही के अंत तथा रिपोर्टाधीन लेखा वर्ष के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। (''कार्यशील निधियों'' का उल्लेख कुल आस्तियों के लिए किया गया है)।*

- *प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ का हिसाब लगाने के लिए सभी संवर्गों के समस्त स्थायी और पूर्णकालिक कर्मचारियों को गिना गया है।*

8. 7 जुलाई, 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार वायदा दर करारों / ब्याज दर का स्वैप।

1.	बकाया लेन-देनों की संख्या	21
2.	सैद्धांतिक मूलधन बकाया राशियों का योग	8.45 बिलियन रुपये
3.	स्वैप का स्वरूप	बचाव प्रयोजन/देयता प्रबंधन के लिए सभी लेन-देन ''फिक्सड-फ्लोटिंग'' अथवा ''फ्लोटिंग-फिक्सड'' स्वरूप के हैं जो भारत सरकार-प्रतिभूति प्रतिफलों जैसे बाज़ार निर्देश चिह्न पर आधारित हैं।
4.	अवधि	लेन-देन 5 और 15 वर्षों की अवधियों के लिए हैं।
5.	प्रतिपक्षों द्वारा अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहने के मामले में होनेवाली हानि	30 मिलियन रुपये
6.	अपेक्षित संपार्श्विक	–
7.	स्वैप के कारण होनेवाले ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	सभी लेन-देन निर्धारित ऋण-सीमा के अन्दर हैं।
8.	स्वैप पुस्तक का उचित मूल्य	100 मिलियन रुपये

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
प्रबंध निदेशक

दीपक चटर्जी **शेखर अग्रवाल** **वाइ. एस. पी. थोरात**
पी. पी. वोरा **पी. एम. ए. हकीम** **ए. के. पुरवार**
डॉ. पुलिन नायक **डॉ. एस. चंद्रा** **डॉ. विनयशील गौतम**
निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **जी. पी. घोष एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
जी. पी. घोष
साझेदार

मुम्बई
दिनांक : 26 अप्रैल, 2003

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) **वित्तीय विवरण**

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारत में व्यवहृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किये गये हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भा.रि. बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी सं. सी. 18/01.02.00/ 2000-01, दिनांकित 23 मार्च 2001, और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े "लेखों की टिप्पणियाँ" के खंड के रूप में दर्शायी गयी हैं।

(ii) **राजस्व मान्यता**

(क) दंड स्वरूप ब्याज और प्रतिबद्धता प्रभार, जिन्हें नकद आधार पर लेखांकित किया जाता है, को छोड़कर आय /व्यय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी गई है। एक्ज़िम बैंक के बांडों पर दिये जानेवाले भांजन / मोचन के प्रीमियम का परिशोधन बांड की अवधि के दौरान किया गया है और उसे ब्याज के व्ययों में शामिल किया गया है।

(ख) ब्याज और बट्टे का उल्लेख सकल ब्याज में, अनुपयोज्य आस्तियों पर ब्याज घटाकर किया गया है। अनुपयोज्य आस्तियों का निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

(iii) **आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण**

तुलन-पत्र में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम राशियों में केवल मूलधन बकाया राशियाँ भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा निपटाये गये दावों की निवल राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होनेवाले ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

देय राशियों की वसूली के लिए ऋण कमज़ोरियों की सीमा तथा संपार्श्विक प्रतिभूति पर निर्भरता के आधार पर ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है : मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। निधिक सुविधाओं के लिए किए गए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(iv) **निवेश**

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है : (क) "परिपक्वता तक धारित" (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अभिग्रहीत की जाती हैं कि उन्हें परिपक्वता तक धारित किया जाए), (ख) "व्यापार के लिए धारित" (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अभिग्रहीत की जाती हैं कि उन्हें अल्पावधिक मूल्य / ब्याज दर के उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए और) (ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों का निम्नलिखित रूप में और अधिक वर्गीकरण किया गया है (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) डिबेंचर और बांड (v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश और (vi) अन्य निवेश (वाणिज्य पत्र, पारस्परिक निधियों की यूनिट आदि)

निवेशों की विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संवर्गों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये 9 नवम्बर, 2000 के अपने परिपत्र के अनुसार निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) **अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास**

(क) अचल आस्तियों का उल्लेख संचयी मूल्यह्रास घटाकर मूल लागत पर किया गया है।
(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सरल रेखा पद्धति के आधार पर स्वामित्व वाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।
(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यह्रास, खरीद वर्ष में, समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में, बिक्री वर्ष में, मूल्यह्रास नहीं दिया गया है।
(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढा दिया गया या नष्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को राजस्व लेखे में समायोजित कर लिया गया है।

(vi) **विदेशी मुद्रा लेन देनों के लिए लेखांकन**

(क) बैंक की विदेशी मुद्रा देयताओं और विदेशी मुद्रा आस्तियों को (भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) बैंक के तुलन-पत्र की तारीख को बाज़ार की प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तित कर दिया गया है।
(ख) बैंक के विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों से संबंधित आस्तियों और देयताओं का रूपान्तरण तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया गया है। उनकी आय और व्यय का रूपांतरण विप्रेषण की औसत विनिमय दर पर किया गया है।
(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के रूपांतरण के फलस्वरूप यदि कोई विनिमय अंतर आता है तो उसे विनिमय-दर उतार-चढ़ाव हेतु आरक्षित निधि के नामे / जमा किया जाता है, सिवाय इसके कि जब यह अंतर मुद्रा की मध्यावधि / दीर्घावधि अदला-बदलियों के कारण उत्पन्न होता है तब उसे "अन्य आस्तियों / अन्य देयताओं" के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।
(घ) ऐसे ऋणों, अग्रिमों के बारे में, जिनकी पुनर्अदायगी विदेशी मुद्रा में की जानी है, उनकी विनिमय आय की मान्यता को केवल अंतिम पुनर्अदायगी वर्ष के अनुसार लिया गया है।

(vii) **गारंटियाँ**

(क) अवधि समाप्त गारंटियों को मूल दस्तावेज़ों की वापसी और निरसन तक, आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।
(ख) ई सी जी सी नीतियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) **कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान**

बैंक ने, पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकित आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ यदि कोई हैं, उनका अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है।

संगठन संरचना

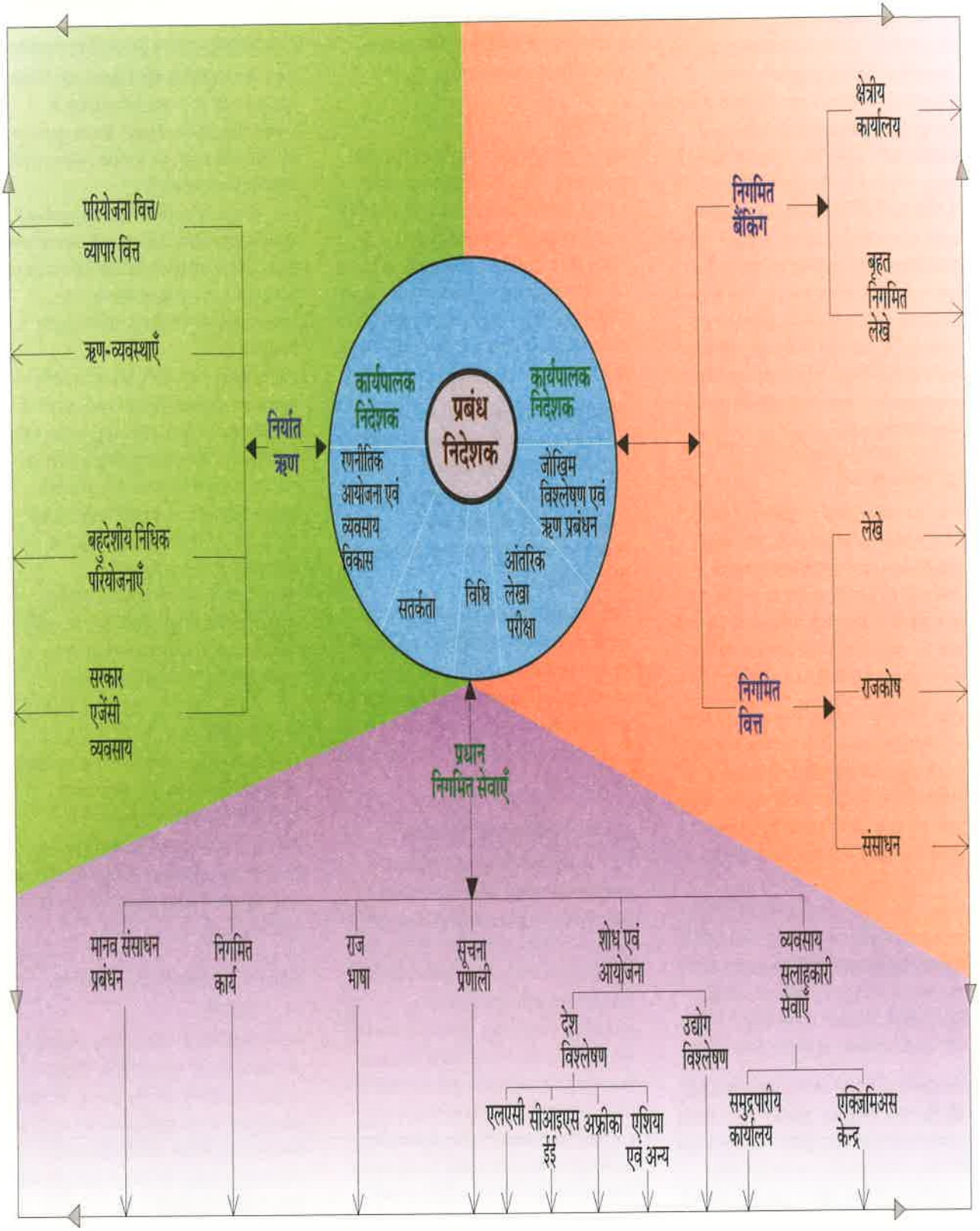
परियोजना वित्त/
व्यापार वित्त
ऋण-व्यवस्थाएँ
बहुदेशीय निधिक
परियोजनाएँ
सरकार
एजेंसी
व्यवसाय
नियति
ऋण
कार्यपालक
निदेशक
रणनीतिक
आयोजना एवं
व्यवसाय
विकास
प्रबंध
निदेशक
कार्यपालक
निदेशक
जोखिम
विश्लेषण एवं
ऋण प्रबंधन
सतर्कता
विधि
आंतरिक
लेखा
परीक्षा
निगमित
बैंकिंग
क्षेत्रीय
कार्यालय
बृहत
निगमित
लेखे
निगमित
वित्त
लेखे
राजकोष
संसाधन
प्रधान
निगमित सेवाएँ
मानव संसाधन
प्रबंधन
निगमित
कार्य
राज
भाषा
सूचना
प्रणाली
शोध एवं
आयोजना
देश
विश्लेषण
उद्योग
विश्लेषण
एलएसी
सीआइएस
ईई
अफ्रीका
एशिया
एवं अन्य
व्यवसाय
सलाहकारी
सेवाएँ
समुद्रपारीय
कार्यालय
एक्जिमिअस
केन्द्र